रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰—33004/99 REGISTERED NO. DL—33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II — खण्ड 3(i)
PART II — Section 3(i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 235] नई दिल्ली, गुरुवार, मई 5, 2011/ वैशाख 5, 1933
No. 235] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 5, 2011 / VAISAKHA 15, 1933

IndianCode

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 5 मई, 2011

सा.का.नि. 362(अ.) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 5, 7, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 83 और धारा 84 के साथ पठित धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव है जो तारीख 29 जुलाई, 2010 की भारत सरकार की अधिसूचना सं- का.आ. 1855 द्वारा अधिसूचित की गई हैं और ये प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (i) तारीख 19 जनवरी, 2011 में पृष्ठ 1 से 36 पर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 39 (अ) तारीख 19 जनवरी, 2011 के अधीन प्रकाशित किए गए थे जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र की प्रतियां जिसमें उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट थी, जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 जनवरी, 2011 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 91 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011

अध्याय 1

साधारण

1.1 : संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1.1 : इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 है।

1.1.2 : ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास के पश्चात् प्रवृत्त होंगे।

1.2 : परिभाषाएं

1.2.1 : इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

1. ''अधिनियम'' से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) अभिप्रेत है;

2. ''न्यायानिर्णायक अधिकारी'' से अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिप्रेत है;

3. ''अधिवक्ता'' से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) के अधीन विधि व्यवसाय करने का हकदार व्यक्ति अभिप्रेत है;

4. ''अपील अधिकरण'' से अधिनियम की धारा 70 के अधीन गठित खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण अभिप्रेत है;

5. ''अपील अधिकारी'' से अधिनियम की धारा 47 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट खाद्य प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

6. ''जांच'' से धारा 68 में निर्दिष्ट जांच अभिप्रेत है;

7. ''अनुज्ञापन प्राधिकारी'' से स्थानीय क्षेत्र के लिए अधिनियम की धारा 36 के अधीन नियुक्त अभिहित अधिकारी और जिसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा अनुज्ञप्ति मंजूर करने के प्रयोजन के लिए इस प्रकार नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;

8. ''अधिसूचित प्रयोगशाला'' से अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन खाद्य प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं में से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

9. ''पीठासीन अधिकारी'' से अधिनियम की धारा 70 के अधीन अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

10. ''निर्दिष्ट प्रयोगशाला'' से अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा खाद्य प्राधिकरण द्वारा स्थापित और/या मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं में से कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

11. ''रजिस्ट्रार'' से अपील अधिकरण का रजिस्ट्रार, जिसके अंतर्गत ऐसे अपील अधिकरण का कोई अधिकारी जिसे रजिस्ट्रार के रूप में कृत्य करने के लिए पीठासीन अधिकारी प्राधिकृत किया गया है ऐसा कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

12. ''रजिस्ट्री'' से अपील अधिकरण की रजिस्ट्री अभिप्रेत है;

12. ''नियमों'' से खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2010 अभिप्रेत है।

अध्याय 2

प्रवर्तन संरचना और प्रक्रियाएं

2.1 -- अर्हता और कर्तव्य

2.1.1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त --

1. अर्हता : आयुक्त और राज्य सरकार के सचिव से नीचे की पंक्ति का कोई व्यक्ति खाद्य सुरक्षा आयुक्त के रूप में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

IndiaCode

2. शक्तियां और कर्तव्य : खाद्य सुरक्षा आयुक्त की शक्तियों और कर्तव्यों के संबंध में उपबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 30 (2) में किए गए हैं।

2.1.2 : अभिहित अधिकारी

1. अर्हता

(*i*) अभिहित अधिकारी एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा जो कि उपखंड अधिकारी या समतुल्य की पंक्ति से नीचे की पंक्ति का अधिकारी नहीं होगा और उसके पास इन नियमों के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए विहित शैक्षिक अर्हताओं में से कम से कम एक शैक्षिक अर्हता या एक विषय के रूप में रसायन शास्त्र के साथ विज्ञान में कम से कम स्नातक उपाधि होगी।

(*ii*) वह अभिहित अधिकारी के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख से छह मास के अंदर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित प्रशिक्षण लेगा।

(*iii*) (क) खाद्य निरीक्षक के रूप में जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है और जिनके पास खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम 1955 या स्थानीय प्राधिकरण के अधीन विहित की गई अर्हता है वह अभिहित अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने का, ऐसी अन्य शर्तों के राज्य सरकार द्वारा अभिहित अधिकारी के पद के लिए विहित की गई ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, पात्र होंगे।

(ख) इन विनियमों के प्रारंभ पर यदि अभिहित अधिकारी का पद अतिरिक्त प्रभार आधार पर समकक्ष रैंक का कोई अन्य अधिकारी धारण करता है तो ऐसा अन्य अधिकारी, पूर्णकालिक अभिहित अधिकारी की नियुक्ति किए जाने या एक वर्ष की अवधि इनमें से जो भी पहले हों, तक ऐसा अतिरिक्त प्रभार धारित करना जारी रखेगा।

2. शक्तियां और कर्तव्य

(*i*) अभिहित अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य वे होंगे जिन्हें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3) में उल्लिखित किया गया है।

(*ii*) अभिहित अधिकारी जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेगा।

(*iii*) अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 36(3) में विनिर्दिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त, धारा 40 (1) के उपबंधों के अनुसार क्रेता द्वारा संदत्त विश्लेषण की फीस का प्रतिसंदाय और इसके अतिरिक्त नमूने की लागत के संदाय को भी सुनिश्चित करेगा।

(*iv*) अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा परामर्श करके अभिग्रहित सामग्रियों के लिए अनुज्ञात रीति में अनावश्यक नमूनों का समयानुसार, अधिसूचित तरीके से, निपटारा सुनिश्चित करेगा।

(*v*) उपर्युक्त नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अभिहित अधिकारी के पास सभी प्रशासनिक शक्तियां होंगी, जिसके अंतर्गत यदि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में जनता के लिए किसी संकट या घोर क्षति का उल्लेख किया गया है तब खाद्य कारबार आपरैटर की अनुज्ञप्ति का निलंबन, रद्दकरण या प्रतिसंहरण किया जा सकेगा :

परंतु ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई करते समय अधिनियम और विनियमों में वर्णित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

2-1-3 : खाद्य सुरक्षा अधिकारी

1- अर्हता : खाद्य सुरक्षा अधिकारी एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और जिस तारीख को उसकी नियुक्ति की जाती है उस तारीख को उसके पास निम्नलिखित अर्हता होगी:

(*i*) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी प्रौद्योगिकी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री, या मेडिसिन में डिग्री, या

(*ii*) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य समतुल्य/मान्यताप्राप्त अर्हता, या

(*iii*) खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट किसी संस्था या संस्थान के अधीन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

IndiaCode

परंतु इन नियमों के अधीन किसी ऐसे व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका खाद्य की किसी वस्तु के विनिर्माण, आयात या बिक्री में कोई वित्तीय हित हो।

2. इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख को, ऐसा व्यक्ति, जिसे खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन खाद्य निरीक्षक के रूप में पहले ही नियुक्त है, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यों का पालन कर सकेगा, यदि राज्य/केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया जाए, यदि अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए विहित अन्य शर्तें पूरी करता हो।

3. राज्य सरकार, ऐसे मामलों में जहां स्थानीय क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन का कोई चिकित्सा अधिकारी खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन खाद्य निरीक्षक के कृत्यों का पालन कर रहा है, ऐसे चिकित्सा अधिकारी को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य समनुदेशित कर सकेगा उस क्षेत्र के स्वास्थ्य प्रशासन का भारसाधक ऐसे चिकित्सा अधिकारी को होगा रू

परंतु यह और कि उपरोक्त खण्ड 2 और 3 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि के भीतर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्धारित विशेषज्ञता वाला प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

4. **शक्तियां और कर्तव्य :**

(*i*) अधिनियम की धारा 38 के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों के प्रतिकूल होते हुए भी, जहां उसकी यह राय है या लिखित में उसने कारण अभिलिखित होने कि विद्यमान परिस्थिति में, धारा 38(1)(ग) के उपबंधों या धारा 38(1) के परंतुक का अनुपालन करना – खाद्य कारबार कर्त्ता की अनुपलब्धता के कारण संभव नहीं है तब खाद्य सुरक्षा अधिकारी ऐसी अपमिश्रित वस्तु या खाद्य को, जो कि असुरक्षित या अव-मानक या मिथ्या छाप वाली या जिसमें बाह्य पदार्थ हैं, ऐसे अपमिश्रित या खाद्य के नमूने लेने के पश्चात् विश्लेषण के लिए परिसरों को सीलबंद कर सकेगा।

(*ii*) जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी की यह राय है या उसके पश्चात् यह विश्वास करने का कारण है (हैं) कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो खाद्य की किसी वस्तु को बेचने, प्रबंध करने या निर्माण करने में लगा हुआ है, किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त है या जीवाणुओं को संश्रय दे रहा है तब वह ऐसी व्यक्ति की किसी अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी जिसे अभिहित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो, परीक्षा कराएगा :

परंतु जहां ऐसा कोई व्यक्ति स्त्री है तब उसकी परीक्षा एक ऐसी अर्हक महिला चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कराई जाएगी जिसे अभिहित अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किया गया हो।

यदि ऐसी जांच करवाए जाने पर योग्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी यह प्रमाणित करता/करती है कि वह व्यक्ति किसी ऐसे रोग से पीड़ित है तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अभिहित अधिकारी को सूचित करते हुए लिखित में आदेश द्वारा उस व्यक्ति को निदेश दे सकेगा कि वह खाद्य की किसी वस्तु की बिक्री या विनिर्माण में भाग न लें।

(*iii*) इसके अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, –

(क) अभिहित अधिकारी द्वारा विहित की गई रीति में बारंबार ऐसे सभी खाद्य स्थापनों, जिन्हें उसके समनुदेशित क्षेत्रों के भीतर किसी खाद्य वस्तु का निर्माण, प्रबंध, पैकिंग या बेचने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, का निरीक्षण करेगा;

(ख) अपना यह समाधान करेगा कि ऐसे प्रत्येक खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा जो उसके समनुदेशित क्षेत्रों के भीतर कारबार कर रहा है उसके द्वारा अनुज्ञप्तियों की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है और इस बाबत अभिहित अधिकारी को उसके द्वारा रिपोर्ट करेगा;

(ग) खाद्य की ऐसी किसी वस्तुओं के नमूनों को, यदि आवश्यक हो, विश्लेषण के लिए उपाप्त करेगा और भेजेगा जिनकी बाबत उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसी वस्तुओं का निर्माण, स्टाक या बिक्री या विक्रय के लिए प्रदर्शन इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उल्लंघन में किया गया है;

(घ) निगरानी, पर्यवेक्षण और अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए नमूने लेगा जिनका प्रयोग अभियोजन के लिए नहीं किया जाएगा;

(ङ) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने की बाबत लिखित में उसे की गई किसी शिकायत का अन्वेषण करेगा;

(च) उसे समनुदेशित क्षेत्र के भीतर सभी खाद्य कारबार के आंकड़े आधारों को बनाए रखेगा;

(छ) जहां कहीं आवश्यक हो, खाद्य कारबार कर्त्ताओं को सुधार करने की सूचना जारी करने की सिफारिश अभिहित अधिकारी को करेगा;

(ज) अपने कर्तव्यों के अनुपालन में उसके द्वारा किए गए सभी निरीक्षण और की गई सभी कार्यवाहियों, जिसके अंतर्गत नमूने लेना और स्टाक का अभिग्रहण भी है, का अभिलेख बनाए रखेगा और ऐसे अभिलेखों की प्रतियां अभिहित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिनकी बाबत निदेश दिया गया है;

(झ) ऐसी जांच और निरीक्षण करेगा जो यह पता लगाने के लिए आवश्यक हो कि अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन में खाद्य वस्तुओं का निर्माण, भंडारण या वस्तुओं का विक्रय किया गया है या नहीं;

(ङ) ऐसे किसी यान को रोकेगा और उसका निरीक्षण करेगा जिसके संबंध में उसका यह संदेह हो कि उसमें असुरक्षित खाद्य या ऐसा खाद्य है जो इस अधिनियम और नियमों का अनुपालन नहीं करते हैं और मानवीय उपभोग के लिए उनका विक्रय या परिदान करने का आशय है;

(ट) यदि निरीक्षण करने के पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह पाता है कि खाद्य कारबार कर्त्ता ने अनुज्ञप्ति के लिए मंजूर की गई शर्तों का अतिक्रमण किया है तब वह अभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट आधार देते हुए किसी खाद्य कारबार कर्त्ता को जारी की गई अनुज्ञप्तियों की बाबत समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश करेगा;

(ठ) खाद्य सुरक्षा निगरानी करेगा और इस बात का पता लगाएगा कि सुरक्षा परिसंकटों का पालन किया गया है या नहीं;

(ड) अपने क्षेत्र में विषाक्त खाद्य की घटनाओं के संबंध में कार्यवाही करेगा और सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ करने के लिए अभिहित अधिकारी को रिपोर्ट भेजेगा और उसकी सहायता करेगा;

(ढ) विनियमों के **अध्याय 3 की अनुसूची 4** में दिए गए सिद्धांतों और दिशानिर्देशों के अनुसार पंचायत और नगरपालिकाओं के लिए खाद्य सुरक्षा योजना को तैयार करने को सुकर बनाएगा;

(ण) ऐसे आयातित पैकेजों,जिसमें खाद्य की वस्तुओं के विषय में संदेह है कि उनके आयात या विक्रय को प्रतिषि) किया गया हो;

(त) अपने कार्य क्षेत्र के भीतर खाद्य कारबार कर्त्ता के साथ समन्वय करेगा और खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा खाद्य सुरक्षा पद्धति को पुर:स्थापित किए जाने को सुकर बनाएगा;

(थ) संबंधित स्थानीय क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा उसे सौंपे गए ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा।

2-1-4 : खाद्य विश्लेषक

1. अर्हता : इस अधिनियम के अधीन खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि उसके पास निम्नलिखित अर्हता न हो :-

(*i*) विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या डेयरी रसायन विज्ञान या खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य और पोषण में मास्टर की डिग्री या डेयरी/तेल में प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री अथवा विधि द्वारा भारत में स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पशु विज्ञान में डिग्री रखता हो या रसायनज्ञ संस्था (भारत) द्वारा खाद्य विश्लेषक के वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण करके रसायनज्ञ संस्था (भारत) का कोई सहयुक्त हो, या ऐसे प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त और अधिसूचित किसी अन्य समतुल्य अर्हता रखता हो और खाद्य विश्लेषण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो; और

(*ii*) प्राधिकरण द्वारा नियुक्त और अधिसूचित किसी बोर्ड द्वारा खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित घोषित किया गया हो।

ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,

(क) किसी व्यक्ति को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अधीन गठित बोर्ड द्वारा लोक विश्लेषक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित घोषित किया गया है तब वह व्यक्ति खाद्य विश्लेषक के रूप में पद को धारित करने का पात्र होगा :

(ख) कोई व्यक्ति इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अधीन लोक विश्लेषक है तब ऐसा व्यक्ति उसे लागू होने वाली सेवा के निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए खाद्य विश्लेषक के पद को धारित कर सकेगा।

(*ii*) खाद्य विश्लेषक द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट विशेषज्ञता वाले सभी आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेगा।

2. कर्तव्य

(*i*) खाद्य विश्लेषक खाद्य की उन वस्तुओं का, जिन्हें उनके पास विश्लेषण के लिए भेजा गया है, विश्लेषण करेगा या करवाएगा। खाद्य वस्तुओं का विश्लेषण करने में खाद्य विश्लेषक ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा और समय-समय पर खाद्य प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत ऐसी प्रक्रियाओं का भी पालन करेगा। विश्लेषण रिपोर्ट पर खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(*ii*) खाद्य वस्तुओं का विश्लेषण पूरा हो जाने के पश्चात् खाद्य विश्लेषक **प्ररूप 7-क** में, यथास्थिति, अभिहित अधिकारी और खाद्य वस्तुओं के क्रेता को अपनी रिपोर्ट भेजेगा।

2.2 -- दस्तावेजों और उससे संबंधित विषयों का उद्धरण लेने की प्रक्रिया --

2.2.1 : उद्धरण लेने की रीति

1. जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (6) के अधीन प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज अभिग्रहित किया गया है वहां वह ऐसे अभिग्रहण किए जाने की तारीख से अन्यून तीस दिन की अवधि के भीतर अभिग्रहीत दस्तावेजों को उस व्यक्ति को वापस कर देगा जिस व्यक्ति से उसे अभिग्रहीत किया गया था रू

परंतु लेखा पुस्तक और अन्य दस्तावेजों को वापस करने से पहले खाद्य सुरक्षा अधिकारी, यथास्थिति, उसकी प्रतियों या उद्धरण लेने का हकदार होगा।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से ऐसी संसूचना प्राप्त होने के पश्चात् जिस व्यक्ति की लेखा पुस्तकें और दस्तावेज अभिग्रहीत किए गए हैं उसे, यथास्थिति, उनकी प्रतियां या उद्धरण दिए जाएंगे और खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा सम्यक् रूप से उन्हें अधिप्रमाणित किया जाएगा।

3. खाद्य सुरक्षा अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उद्धरण लिए जाएंगे।

4. जो व्यक्ति उद्धरण ले रहा है वह किसी भी रीति में उद्धरण लेने के दौरान अभिलेखों में कोई अस्त व्यस्त, विकृत, बिगाड़ना या नुकसान नहीं करेगा।

5. उद्धरण लेने वाला व्यक्ति अभिलेख या कागज पत्र पर कोई चिन्हांकन नहीं करेगा।

2.2.2 शपथपत्र

1. ऊपर **नियम 2-2-1** में निर्दिष्ट उद्धरण या प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिससे लेखा पुस्तक या अन्य दस्तावेज अभिग्रहीत किए गए थे और ऐसे उद्धरण और प्रतियों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उपबंधित किया गया है और इनके साथ उस व्यक्ति का उस व्यक्ति का जिससे लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज अभिग्रहीत किए गए थे **प्ररूप 1** में एक शपथपत्र होगा जिसमें ऐसे उद्धरण या प्रतियों की अधिप्रमाणिता को प्रमाणित किया जाएगा।

2.3 - खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य वस्तुओं और उससे संबंधित सामग्री का अभिग्रहण

2.3.1 -- किसी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिगष्टहीत खाद्य वस्तु की रसीद का प्ररूप - अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के खंड ख के अधीन अभिगष्टहीत प्रत्येक खाद्य वस्तु के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी **प्ररूप 2** में एक रसीद उस व्यक्ति को देगा जिससे खाद्य वस्तु अभिग्रहीत की गई थी।

2.3.2 -- स्टाक का निपटान करने के लिए आदेश/बंधपत्र का प्ररूप -- जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन खाद्य कारबार कर्त्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में खाद्य वस्तु को रखा है वहां :--

1. वह खाद्य वस्तु पर मुद्रा लगाने के पश्चात् **प्ररूप 3** में खाद्य कारबार कर्त्ता को एक आदेश करेगा और खाद्य कारबार कर्त्ता ऐसे आदेश का पालन करेगा, और

2. वह **प्ररूप 4** में खाद्य कारबार कर्त्ता से एक बंधपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा।

2.4 नमूना और विश्लेषण --

2.4.1 : नमूना लेने की प्रक्रिया और विश्लेषण के लिए उसे भेजने की रीति --

खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 47 (धारा 47 (5) के सिवाय) के अधीन विश्लेषण के लिए खाद्य का नमूना लेते समय इसके अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करेगा, अर्थात् :-

1. नमूनों को लेते समय कम से कम दो साक्षियों को बुलाएगा।

2. तैयार किए गए सभी प्ररूपों और दस्तावेजों पर इन साक्षियों से हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

3. कारबार कर्त्ता को **प्ररूप 5 क** में उसी समय सूचना तामील करेगा।

4. यदि खाद्य कारबार कर्त्ता यह प्रकट करता है कि इन उत्पादों को उसने विनिर्माता,वितरक या प्रदायकर्ता से अभिप्राप्त किया है तब ऐसे विनिर्माता, वितरक और प्रदायकर्ता को भी एक सूचना दी जाएगी।

5. यदि जहां कोई नमूना किसी खुले हुए आधान से लिया जाता है वहां नमूना लेने वाला व्यक्ति उसी वस्तु की मूल दशा के एक आधान से, यदि ऐसा आधान उपलब्ध है और जिसमें उसी प्रकार की घोषणा की गई है, नमूना लेगा तथा खाद्य विश्लेषक को इस बारे में सूचना देगा।

6. जहां कोई खाद्य सुरक्षा अधिकारी या क्रेता विश्लेषण के लिए किसी खाद्य वस्तु का नमूना लेता है वहां वह ऐसे नमूने की लागत का संदाय उस व्यक्ति को करेगा जिससे नमूना लिया गया है और लागत की संगणना जनता को जिस दर पर वस्तु बेची जाती है उसी दर पर की जाएगी।

7. विश्लेषण के प्रयोजन के लिए खाद्य वस्तु का नमूना शुष्क बोतल या मर्तबान या अन्य उपयुक्त आधानों में लिया जाएगा जिन्हें इस प्रकार बंद किया जाएगा जिससे कि उनमें रिसाव, वाष्पित या सूखी वस्तु की दशा में नमी के प्रवेश को निवारित किया जा सके और सावधानीपूर्वक उसे सीलबंद किया जाएगा :

परंतु यदि किसी सीलबंद पैकेज को विनिर्माता/ खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा बेचा गया है और उसे यदि किसी सीलबंद पैकेज को विनिर्माता/ खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा बेचा गया है और उसे नमूने के रूप में सीलबंद किया गया है तब अलग से आधानों में सीलबंद करना अपेक्षित नहीं होगा।

8. सभी बोतलों या मर्तबानों या अन्य आधानों में जिनमें विश्लेषण के लिए नमूने है उन पर उचित रूप से लेबल लगाया जाएगा और उचित रूप से पार्सल पर उचित रूप से पता लिखा जाएगा। विश्लेषण के लिए भेजे गए खाद्य के किसी नमूने के लेबल पर निम्नलिखित उल्लेख किया जाएगा-

I. नमूने की कोड संख्यांक

II. शासकीय पदनाम के साथ भेजने वाले का नाम

III. नमूना संग्रहण करने की तारीख और स्थान

IV. विश्लेषण के लिए भेजी जानी वाली वस्तुओं की प्रकृति

V. नमूने में डाला गया परिरक्षी यदि कोई हो, की प्रकृति और मात्रा

9. नमूनों को इसके अधीन विहित की गई रीति में पैक किया जाएगा और सीलबंद किया जाएगा-

(*i*) नमूने को चार भागों में विभाजित किया जाएगा या पहले से ही सीलबंद चार पैकेजों में लिया जाएगा तथा प्रत्येक भाग पर ऐसी रीति में चिन्हांकन और मुद्रा लगाई जाएगी या 2-4-1-8 में उल्लिखित नमूने की प्रकृति अनुज्ञात करे और जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ली जाएगी।

(*ii*) पहले डाट/ढक्कन को मजबूती से बंद किया जाएगा जिससे कि अभिवहन में नमूने की अंर्तवस्तु का रिसाव न हो सके।

(*iii*) इसके पश्चात् बोतल, मर्तबान या अन्य आधान को पूर्ण रूप से मोटे कागज में उचित रूप से लपेटा जाएगा। सफाई से कागज के किनारों को मोड़ा जाएगा और उनको गोंद या अन्य आसंजक से चिपकाया जाएगा।

(*iv*) आधान के ऊपर से नीचे तक पूर्ण रूप से एक कागज की पर्ची को चारों तरफ लगाया जाएगा जिस पर अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और नमूने की कोड संख्या भी पर्ची पर चिपकाई जाएगी। जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप को ऐसी रीति में लगाया जाएगा जिससे कि कागज की पर्ची और रैपर दोनों पर हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप आ जाए रू

परंतु यदि जिस व्यक्ति से नमूना लिया गया है वह हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप लगाने से इंकार करता है तब इसी रीति में एक या एक से अधिक साक्षियों के हस्ताक्षर या अंगूठे की छाप ली जाएगी रू

परंतु यह और कि यदि जिस कागज की पर्ची पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर है उसका आकार इस प्रकार का है कि वह आधान को ऊपर से लेकर नीचे तक पूर्ण रूप से ढकती नहीं है तब खाद्य सुरक्षा अधिकारी कागज की अतिरिक्त शीट/शीटों को लगाएगा और उस शीट पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर इस प्रकार होंगे जिससे कि वह पूर्ण रूप से आधान को ढक सके तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी पहचान के प्रयोजन के लिए ऐसी शीटों के प्रत्येक जोड़ पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

परंतु यह भी कि जहां खरीदार या कोई प्राधिकृत अधिकारी नमूना लेता है तो पेपर की ऐसी किसी पर्ची का चिपकाया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

(*v*) बोतल, मर्तबान या अन्य आधान के ऊपर ढके गए कागज को मजबूत सूतली या धागे द्वारा ऊपर से नीचे तक और आरपार बांधा जाएगा इसके पश्चात् सूतली या धागे को कागज की पर्ची पर सील करने की वैक्स द्वारा जकड़ा जाएगा और उस पर प्रेषक की मुद्रा की सुभिन्न और स्पष्ट छाप होगी। एक छाप पैकेट के ऊपर होगी और दूसरी छाप पैकेट के नीचे होगी तथा अन्य दो छाप पैकेट के मुख्य भाग पर होगी। सूतली या धागे की गांठों को सील करने की वैक्स से ढका जाएगा जिस पर प्रेषक की मुद्रा की छाप होगी।

10. नमूनों के आधानों को तुरंत निम्नलिखित रीति से भेजा जाएगा रू–

(*i*) **प्ररूप 6** में ज्ञापन के साथ-साथ विश्लेषण के लिए नमूने के एक भाग को सीलबंद आधान में नमूने की अखंडता को बनाए रखने की समुचित दशा में खाद्य विश्लेषक को सीलबंद पैकेट में भेजा जाएगा।

(*ii*) नमूने के दूसरे और तीसरे भाग को सीलबंद आधान में **प्ररूप 6** में ज्ञापन की दो प्रतियों के साथ तुरंत किसी उपयुक्त साधन द्वारा अभिहित अधिकारी को भेजा जाएगा य और

(*iii*) नमूने के शेष चौथे भाग को सील बंद आधान को और **प्ररूप 6** ज्ञापन की एक प्रति को प्राधिकरण द्वारा विहित की गई फीस के साथ, यदि खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा ऐसा अनुरोध किया गया है, अभिहित अधिकारी को सूचना देते हुए, प्रत्यायित प्रयोगशाला को भेजा जाएगा रू

परंतु यह कि यदि खाद्य कारबार कर्त्ता किसी प्रत्यायित प्रयोगशाला को नमूने को भेजने का अनुरोध नहीं करता है तब नमूने के चौथे भाग को अभिहित अधिकारी के पास जमा किया जाएगा।

(*iv*) सूक्ष्मजीव विज्ञान सिद्धांतों के अनुसार परीक्षण करने के लिए नमूने को लेने के लिए, नमूना लेने की रीति, आधान का प्रकार, तापमान को बनाए रखना, परिवहन की रीति और नमूने की अखंडता को बनाए रखने की कोई अन्य शर्त को समय समय पर खाद्य प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

11. खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिस खाद्य विश्लेषक को नमूने के पहले भाग का सीलबंद आधान भेजा गया है उसे ज्ञापन की एक प्रति और पैकेट को सील करने के लिए जिस मुद्रा का उपयोग किया गया है उसकी छाप का नमूना तुरंत भेजेगा।

12. खाद्य सुरक्षा अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम के उपबंधों के अधीन विश्लेषण के प्रयोजन के लिए नमूना लेते समय सूक्ष्मजीव विज्ञान, परीक्षण/विश्लेषण के लिए नमूने के सिवाय, विश्लेषण के लिए नमूने को उपयुक्त अवस्था में बनाए रखने के प्रयोजन के लिए विनियमों में समय-समय पर विहित किए गए परिरक्षी डालेगा।

13. जब भी कोई परिरक्षी किसी नमूने में डाला जाता है तब डाले गए परिरक्षी की मात्रा का उल्लेख आधान पर चिपके हुए लेबल पर किया जाएगा।

14. खाद्य विश्लेषक/निर्दिष्ट प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजे गए खाद्य के नमूने की मात्रा वह होगी जिसे खाद्य प्राधिकारी द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : पैकेज स्थिति में बेचा गया खाद्य (सीलबंद आधान या पैकेज) को, जहां तक साध्य हो, पैकेज को खोले बिना मूल लेबल के साथ लगभग मात्रा का अनुमान लगाने के लिए भेजा जाएगा। यदि अधिक पैकेजों, जहां इन नियमों के अधीन अपेक्षानुसार परिरक्षी डाला गया है तब सीलबंद आधान या पैकेज को खोलने के पश्चात् नमूने को खाद्य कारबार कर्त्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा या उसके इंकार करने की दशा में ऐसे नमूने को एक या एक से अधिक साक्षियों की उपस्थिति में लिया जाएगा तथा मूल लेवल की अंर्तवस्तुओं को नमूने के साथ विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा तथापि ऐसे नमूनों का प्रयोग सूक्ष्मजीव विज्ञान विश्लेषण के लिए नहीं किया जाएगा।

15. जहां खाद्य को बेचा जाता है या बेचने के लिए स्टाक किया जाता है सीलबंद आधानों में वितरण किया जाता है और उनके लेवलों में एक ही प्रकार की घोषणा हो तब एक या एक से अधिक ऐसे आधानों की अंर्तवस्तु की बाबत विहित मात्रा का समाधान करना अपेक्षित होगा और उस मात्रा को नमूने का एक भाग माना जाएगा।

16. पैकेज सामग्री खाद्य के नमूने की मात्रा को विश्लेषण के लिए खाद्य विश्लेषक/निर्दिष्ट प्रयोगशाला को नीचे विनिर्दिष्ट रूप से भेजा जाएगा

पैकेज खाद्य सामग्री का नाम	**लगभग मात्रा/सतही क्षेत्र जिसमें प्रदाय किया जाएगा**
1. पैकेज सामग्री खाद्य जब विनिर्माता से नमूना लिया गया है।	8×1000 ×9 वर्ग सेंटीमीटर सतही क्षेत्र''
2. जब छोटे उपभोक्ता से पैकेज का नमूना लिया गया है।	एक आधान के लिए प्रयुक्त पूरी पैकेज सामग्री

17. **नियम 2.4.1 (15)** में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्लेषण के लिए भेजे गए नमूने की मात्रा को तब तक पर्याप्त माना जाएगा जब तक कि वह खाद्य विश्लेषक की रिपोर्टों के प्रतिकूल न हो।

नियम 2.4.1 के प्रयोजन के लिए, यदि निगरानी प्रयोजनों के लिए नमूना लिया गया है तब उसके अधीन उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाएगा।

IndiaCode

2.4.2 खाद्य विश्लेषक द्वारा खाद्य नमूनों का विश्लेषण

1. विश्लेषण के लिए खाद्य नमूने के पैकेज के प्राप्त होने पर खाद्य विश्लेषक या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी अलग से प्राप्त हुई मुद्रा की छाप के नमूने की तुलना आधान पर लगी हुई मुद्रा और उसके बाहरी आवरण पर लगी हुई मुद्रा से करेगा और उस पर की मुद्रा की अवस्था को नोट करेगा।

2. खाद्य प्रयोगशालाएं, जिनके अंतर्गत चल खाद्य प्रयोगशालाएं भी हैं, जहां कहीं आवश्यक हों, उन्हें खाद्य सुरक्षा अधिकारी/क्रेता से प्राप्त खाद्य नमूनों का परीक्षण के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा स्थापित या अधिसूचित किया जा सकेगा।

3. यदि खाद्य विश्लेषक द्वारा प्राप्त नमूने आधान को टूटी हुई अवस्था में या विश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तब वह ऐसे नमूने के प्राप्त होने की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर इस बारे में अभिहित अधिकारी को सूचित करेगा और उससे यह अनुरोध करेगा कि विश्लेषण के लिए नमूने के दूसरे भाग को भेजा जाए।

4. **नियम 2.4.2 (3)** के अनुसरण में खाद्य विश्लेषक से अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात् अभिहित अधिकारी अगले कार्य दिवस को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भेजे गए नमूने के एक भाग का विश्लेषण करने के लिए खाद्य विश्लेषक को भेजेगा।

5. नमूने के प्राप्त होने के पश्चात खाद्य विश्लेषक नमूने का विश्लेषण करेगा या करवाएगा और विश्लेषण की रिपोर्ट, जिसमें विश्लेषण की पद्धति का उल्लेख होगा, भेजेगा। विश्लेषण **रिपोर्ट प्ररुप 7क** के अनुसार होगी और इसकी चार प्रतियां उस अभिहित अधिकारी को भेजी जाएगी जिसके अधिकारिता के अधीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कृत्य करता है या खाद्य वस्तु का क्रेता है। विश्लेषण रिपोर्ट पर खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इस रिपोर्ट को खाद्य विश्लेषक द्वारा नमूना प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर भेजा जाएगा।

6. विश्लेषण रिपोर्ट की दो प्रतियां अभिहित अधिकारी को और आगे कार्रवाई के लिए रखेगा और एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिलेख के लिए भेजी जाएगी तथा एक प्रति खाद्य कारबार कर्त्ता, जिससे नमूना लिया गया था, को भेजी जाएगी।

परंतु यदि नमूना प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है तब खाद्य विश्लेषक अभिहित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को ऐसा न करने का कारण देते हुए सूचित करेगा और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करेगा :

7. प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित/अंगीकार की गई विश्लेषण की पद्धति जिसके अंतर्गत एओएसी/आईएसओ/पीयर्ससन/जैकब/आई यू पी ए सी/खाद्य रसायन/ कोडेक्स/वीआईएस/ वुडमैन/विंटन-विंटन/जोसलाइन भी हैं उनका उपयोग खाद्य वस्तुओं का नमूनों का विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। तथापि, यदि विश्लेषण की रीति के लिए इन निर्देशिकाओं में कोई सिद्धांत उपलब्ध नहीं है तब अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त/विश्लेषण/विनियामक अभिकरणों द्वारा विश्लेषण के लिए विहित की गई विधिमान्य पद्धति को अंगीकृत किया जाएगा।

2.4.3 : खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट पर अभिहित अधिकारी द्वारा कार्रवाई

यदि रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् अभिहित अधिकारी को लिखित में अभिलिखित किए गए कारण (कारणों) के आधार पर यह राय है कि **नियम 2.4.2 (5)** के अधीन खाद्य विश्लेषक द्वारा दी गई रिपोर्ट त्रुटिपूर्ण है तब वह अपने पास रखे गए नमूने के भागों में से एक भाग को विश्लेषण के लिए निर्दिष्ट प्रयोगशाला को प्रेषित करेगा और यदि ऐसे निर्दिष्ट प्रयोगशाला की विश्लेषण रिपोर्ट इस प्रभाव की है कि खाद्य वस्तु असुरक्षित, अव-मानक/मिथ्या छाप वाली या इसमें बाह्य पदार्थ अंतर्विष्ट हैं तब यथाशक्य **नियम 3.1** के उपबंधों को लागू होंगे।

2.4.4 : क्रेता खाद्य विश्लेषण करा सकता है

1. खाद्य वस्तु का कोई क्रेता यदि वह ऐसी वांछा करता है तब वह खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित प्रक्रिया के अनुसार खाद्य विश्लेषक द्वारा ऐसी वस्तु का विश्लेषण करा सकता है।

2. यदि क्रेता उसके द्वारा खरीदी गई खाद्य वस्तु का विश्लेषण खाद्य विश्लेषक द्वारा कराना चाहता है तब वह वहीं पर **प्ररूप 5ख** में अपने आशय को व्यक्त् करते हुए लिखित में उस खाद्य वस्तु का विश्लेषण कराने के लिए, जिससे उसने उस व्यक्ति से खरीदा है, विश्लेषण करा सकेगा।

3. **नियम 2.4.1** के उपबंध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। 2.4.1 (9) (त्, त्थ्), 10 (त्त्, त्त्), 11 और 16 के सिवाय और इस उपांतरण के साथ कि नमूने दो भागों में विभाजित किए जाएंगे या पहले से ही सील किए गए दो पैकेज लिए जाएंगे जिनमें से प्रत्येक पर निशान लगाया जाएगा और उन्हें ऐसे तरीके से सील किया जाएगा या बांधा जाएगा कि जैसा उनकी प्रकृति के अनुकूल हो और उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान लिए जाएंगे जिससे नमूना लिया गया है या 2.4.1 (8) में वर्णित लेबल पर साक्ष्य चिपकाया जाएगा। खरीददार नमूने का एक भाग खाद्य विश्लेषक को और दूसरा भाग अभिहित अधिकारी को भेजेगा जिसका प्रयोग खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के निष्कर्ष के विरूद्ध खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा की जाने वाली अपील की स्थिति में किया जा सकता है।

4. क्रेता विश्लेषण करने के लिए खाद्य विश्लेषक को विहित फीस का संदाय करेगा।

5. खाद्य विश्लेषक खाद्य वस्तु का विश्लेषण करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट क्रेता को भेजेगा और यदि रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि खाद्य वस्तु अपमिश्रित/मिथ्या छाप वाली/संदूषित या अधिनियम या विनियमों के अधीन विहित मानकों के अनुरूप नहीं है तब खाद्य विश्लेषक अपनी रिपोर्ट को तीन प्रतियां में उस क्षेत्र के अभिहित अधिकारी को भेजेगा जिस क्षेत्र से खाद्य वस्तु खरीदी गई थी और इसके अलावा क्रेता को रिपोर्ट की एक प्रति भेजेगा।

6. विश्लेषण के लिए खाद्य वस्तु के प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट भेजी जाएगी और ऐसी **रिपोर्ट 7क** में होगी।

2.4.5 : खाद्य कारबार कर्त्ता का खाद्य विश्लेषण का अधिकार

1. यदि जिस खाद्य कारबार कर्त्ता से नमूना लिया गया है या इन नियमों के **नियम 2.5** के अधीन जिस व्यक्ति का नाम और पता और अन्य विशिष्टियां प्रकट की गई हैं यदि वह नमूने के चौथे भाग का विश्लेषण कराने का इच्छुक है तब वह लिखित में खाद्य सुरक्षा अधिकारी से इस नमूने को किसी एनएबीएल प्रत्यायित विश्लेषण के लिए एफएसएआई अधिसूचित प्रयोगशाला में भेजने के लिए लिखित में अनुरोध करेगा और अभिहित अधिकारी को इस बाबत सूचित करेगा।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी एनएबीएल प्रत्यायित/एफ एस एस ए आई अधिसूचित प्रयोगशाला को नमूना भेजेगा और **नियम 2.4.1** के अधीन विहित की गई रीति में अभिहित अधिकारी को तुरंत सूचित करेगा :

परंतु यह कि प्रत्यायित प्रयोगशाला परीक्षण की लागत का वहन खाद्य कारबार कर्त्ता या **नियम 2.5** के अधीन पहचान किए गए व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा संदाय बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन, अंतरण, खजाना चालान या अभिहित अधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट किसी अन्य उचित साधन द्वारा किया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसी प्रत्यायित प्रयोगशाला जहां खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने को भेजेगा वह राज्य या आसपास के राज्य के भीतर, जहां कहीं उपलब्ध हो, होगी।

3. नमूने के प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर खाद्य विश्लेषक/प्रत्यायित प्रयोगशाला का भारसाधक नमूने का विश्लेषण करेगा :

परंतु यह कि यदि नमूने का विश्लेषण उसके प्राप्त होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर नहीं किया जा सकता है तब खाद्य विश्लेषक/प्रत्यायित प्रयोगशाला का भारसाधक अभिहित अधिकारी को और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को कारण देते हुए सूचित करेगा और विश्लेषण में लगने वाले समय को विनिर्दिष्ट करेगा।

4. खाद्य विश्लेषक **प्ररूप 7क** में दिए गए प्ररूप में अभिहित अधिकारी को विश्लेषण की चार प्रतियां भेजेगा और विश्लेषण की रीति उपदर्शित करेगा।

2.4.6 : अभिहित अधिकारी को अपील

1. जब खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के विरुद्ध खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा अभिहित अधिकारी को धारा 46 की उपधारा (4) के अधीन किए गए उपबंध के अनुसार अपील की जाती है तब अभिहित अधिकारी उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करने के पश्चात् और खाद्य कारबार आपरेटर को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी अपील के प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर, यदि वह ऐसा निर्णय लेता है, सामग्री निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला को भेजेगा तथा निर्दिष्ट प्रयोगशाला को नमूने के एक भाग को तब प्रेषित करेगा। ऐसी अपील **प्ररूप 8** में की जाएगी और इस अपील को अभिहित अधिकारी से विश्लेषण की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर फाइल किया जाएगा। इस बाबत निर्दिष्ट प्रयोगशाला की रिपोर्ट अंतिम होगी।

2. उत्पाद के लिए यथाविनिर्दिष्ट समुचित अवस्था में, जिसके अंतर्गत नमूने की अखंडता को बनाए रखने के लिए परिवहन भी है, के अधीन अभिहित अधिकारी नमूने का एक भाग भेजेगा। नमूने के विश्लेषण का व्यय खाद्य कारबार कर्त्ता द्वारा वहन किया जाएगा। शेष नमूनों को भी सुरक्षित रूप से उन्हें खराब होने से बचाने के लिए समुचित अवस्था में रखा जाएगा।

2.5 : विहित प्रोफार्मा में कंपनी द्वारा नामनिर्देशन

2.5.1 : ऐसी कंपनी जिसके विभिन्न स्थापन या शाखाएं, इकाइयां हैं वह **प्ररूप 9** में अनुज्ञापन प्राधिकारी को ऐसे स्थापन या शाखा या इकाई के संबंधित प्रधान या भारसाधक व्यक्ति से संबंधित विशिष्टियों के बारे में सूचना देगा और सम्यक रूप से यह प्रमाणन करेगा कि संबंधित व्यक्ति को अधिनियम की धारा 66 और अधिनियम की धारा 31 के अधीन बनाए गए विनियमों के प्रयोजनों के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

2.5.2 : कंपनी, जब कभी **नियम 2.5.1** में किए गए नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन होता है तब वह तुरंत **प्ररूप 9** में अनुज्ञापन प्राधिकारी को भी सूचित करेगी।

अध्याय 3

न्यायनिर्णयन और अधिकरण को अपील

3.1. न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां

3.1.1 : जांच करना

1. अभिहित अधिकारी से **प्ररूप 7क** में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त होने पर वह व्यक्ति जिससे नमूना लिया गया है या वे व्यक्ति जिनके नाम और पते और अन्य विशिष्टियां इन नियमों के **नियम 2.5** के अधीन प्रकट की गई हैं या थोक विक्रेता या विनिर्माता अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (4) के निबंधनानुसार अभिहित अधिकारी के समक्ष खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के निष्कर्षों के विरुद्ध कोई अपील फाइल कर सकता है और जब उस अपील को खारिज कर दिया जाता है, या अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (4) के निबंधनानुसार अभिहित अधिकारी द्वारा किए गए निर्देश के अनुसरण में निर्दिष्ट प्रयोगशाला द्वारा अपनी रिपोर्ट मे खाद्य विश्लेषक के निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है या कोई अपील नहीं की जाती है तब अभिहित अधिकारी जिन धाराओं के अधीन किसी व्यक्ति को आरोपित किया गया है उनके आधार पर मामले की परीक्षा यह पता करने के लिए करेगा कि ऐसा उल्लंघन कारावास से दंडनीय है या नहीं इस अधिनियम के अधीन केवल जुर्माने से दंडनीय है। तथापि, यदि उल्लंघन सिद्ध नहीं होता है और नमूना एफएसएस विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप है तब तुरंत खाद्य कारबार कर्त्ता को इस बाबत संसूचित करेगा।

2. यदि अभिहित अधिकारी इस विनिश्चय पर पहुंचता है कि ऐसा उल्लंघन कारावास से दंडनीय नहीं है किंतु अधिनियम के उपबंधों के अधीन केवल जुर्माने से दंडनीय है तब वह खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उस व्यक्ति द्वारा जिससे नमूना लिया गया है या इन नियमों के **नियम 2.5** के अधीन जिस व्यक्ति का नाम और पता तथा अन्य विशिष्टियां प्रकट की गई हैं और/या खाद्य के विक्रेता या निर्माता जिसके संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनके अभिकथित अपराध का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष एक आवेदन फाइल करेगा और प्राधिकृत करेगा।

3. न्यायनिर्णयन आवेदन को फाइल करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए अभिहित अधिकारी से संसूचना प्राप्त होने के पश्चात् खाद्य सुरक्षा अधिकारी कारित किए गए अभिकथित अपराध/उल्लंघन का न्यायनिर्णयन करने के लिए न्यायनिर्णायक अधिकारी के समक्ष एक आवेदन फाइल करेगा।

4. खाद्य सुरक्षा अधिकारी से न्यायनिर्णयन के लिए फाइल किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर न्यायनिर्णायक अधिकारी जांच कार्यवाहियां आरंभ करेगा।

5. न्यायनिर्णायक अधिकारी के पास अधिनियम की धारा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66 और 67 के अधीन दंडनीय अपराधों का न्यायनिर्णयन करने के प्रयोजन के लिए जांच करने की शक्ति होगी।

6. अधिनियम की धारा 68 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए यह जांच करने के लिए कि क्या किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) ने **नियम 3.1.1 (5)** में निर्दिष्ट अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या नहीं या नियमों या विनियमों की बाबत अभिकथित कोई अपराध किया है तब न्यायनिर्णायक अधिकारी पहले ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को सूचना जारी करेगा और सूचना में विनिर्दिष्ट की गई ऐसी अवधि के भीतर (जो कि सूचना के तामील करने की तारीख से तीस दिन से कम की नहीं होगी) उस विषय के संबंध में उसे/उन्हें अभ्यावदेन करने का अवसर देगा।

7. ऐसे किसी व्यक्ति को **नियम 3.1.1 (6)** के अधीन दी गई प्रत्येक सूचना में उसे या उनके द्वारा कारित किए गए अभिकथित अपराध की प्रकृति अधिनियम की जिस धारा (धाराओं) का अभिकथित उल्लंघन किया है और इस मामले की सुनवाई की तारीख का उल्लेख करेगा। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ संलग्न होगी।

8. सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख को न्यायनिर्णायक अधिकारी उस व्यक्ति या व्यक्तियों जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रहीं है या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किए गए अभिकथित अपराध को स्पष्ट करेगा तथा यह उपदर्शित करेगा कि अधिनियम, नियम या विनियमों के किन उपबंधों का उल्लंघन किए जाने की बाबत अभिकथन किया गया है।

9. न्यायनिर्णायक अधिकारी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे दस्तावेज या साक्ष्य जो वह जांच के लिए सुसंगत समझे, प्रस्तुत करने का अवसर देगा और यदि आवश्यक हो तो किसी भावी तारीख तक सुनवाई को स्थगित करेगा :

परंतु **नियम 3.1.1 (6)** में निर्दिष्ट सूचना का संबधित व्यक्ति के अनुरोध पर अधित्यजन किया जा सकेगा :

परंतु यह और कि उपर्युक्त **नियम 3.1.1.(8)** में उल्लिखित सुनवाई की पहली तारीख से 90 दिन के भीतर न्यायनिर्णायक अधिकारी अंतिम आदेश पारित करेगा।

10. राज्य सरकार इस नियम के अधीन किसी जांच में स्थानीय अधिकारिता के न्यायालय के अधिवक्ताओं के पैनल में से उपस्थापित अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

11. इस नियम के अधीन जांच करते समय न्यायनिर्णयक अधिकारी के पास यह शक्ति होगी कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत किसी व्यक्ति की उपस्थिति को साक्ष्य देने या ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में उपयोगी या जांच की किसी विषय-वस्तु के लिए सुसंगत हो, के लिए उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए बुला सके।

12. यदि कोई व्यक्ति **नियम 3.1.1(6) और (7)** द्वारा यथाअपेक्षित उपस्थित होने में उपेक्षा करता है या मना करता है तब न्यायनिर्णयक अधिकारी ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में ऐसा करने के कारण को अभिलिखित करने के पश्चात् जांच कर सकेगा।

3.1.2 : न्यायनिर्णयक अधिकारी का आदेश और उससे संबंधित विषय

1. यदि न्यायनिर्णयक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध जांच की गई है वह/वे शास्ति और/या **नियम 3.1.1.(5)** में निर्दिष्ट धाराओं में से किसी धारा के अधीन यथोचित प्रशासनिक कार्यवाही के दायी हो गया है/गए हैं तब वह लिखित में आदेश द्वारा ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो वह उचित समझें, और जो अधिनियम की सुसंगत धारा या धाराओं के अनुसार हो।

2. तथापि, यदि न्यायनिर्णयक अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों या उनमें से किसी एक विरुद्ध जो जांच की गई है उससे निर्देश में यथाअभिकथित अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन संदेह से परे साबित नहीं हुआ है तब वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मामले को खारिज कर देगा।

3. **नियम 3.1.2 (1)** के अधीन किए गए प्रत्येक आदेश में अधिनियम या नियम या विनियमों के उन उपबंधों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनकी बाबत अपराध किया गया है और ऐसे विनिश्चय के लिए उस आदेश में संक्षेप कारण होंगे। आर्थिक शास्ति अधिरोपित करते समय न्यायनिर्णायक अधिकारी अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों को सम्यक रूप से ध्यान मे रखेगा। ऐसे शास्ति क्रास मांग ड्राफ्ट के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरित ''न्यायनिर्णायक अधिकारी जिला'' के पक्ष में उस स्थान पर संदेय होगी जहां न्यायनिर्णायक अधिकारी अवस्थित है।

4. ऐसे प्रत्येक आदेश पर तारीख होगी और न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

5. न्यायनिर्णायक अधिकारी **नियम 3.1.2** के अधीन किए गए आदेश की एक प्रति उस व्यक्ति या व्यक्तियों को भेजेगा जिनके विरुद्ध जांच की गई है तथा उस खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भी एक प्रति भेजेगा जिसने न्यायनिर्णयन के लिए आवेदन फाइल किया है।

6. इन नियमों के अधीन जारी की गई कोई सूचना या कोई आदेश ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर तामील किया जाएगा जिनके विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्यवाहियां की गई हैं या जांच की गई है और ऐसी सूचना या कोई आदेश निम्नलिखित रीति में जारी किया जाएगा:-

(*i*) उस व्यक्ति या सम्यक् रूप से उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को परिदत्त या निविदत करके या

(*ii*) उस व्यक्ति के निवास स्थान पर या उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर जहां पर उसने कारबार किया है या व्यक्तिगत रूप से कार्य किया है या अभिलाभ के लिए अंतिम रूप से कार्य किया है, ज्ञात अंतिम निवास स्थान पर रजिस्ट्रीकृत रसीदी डाक द्वारा भेजा जाएगा य

(*iii*) यदि **नियम 3.1.2 (6) (*i*) या (*ii*)** के अधीन विनिर्दिष्ट रीति में ऐसी सूचना या आदेश को उस व्यक्ति को तामील नहीं किया जा सकता है तब जहां वह व्यक्ति निवास करता है या अंतिम ज्ञात निवास पर या जहां कारबार किया है या व्यक्तिगत रूप से कार्य किया है या अभिलाभ के लिए कार्य किया है, उन परिसरों के बाहरी द्वार पर या सहज दृश्य स्थान पर चिपका दिया जाएगा और इसका लिखित रिपोर्ट पर दो व्यक्तियों द्वारा साक्षित किया जाएगा।

3.2 : अपील अधिकरण

3.2.1 अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के पद की अर्हता और निबंधन

1. कोई व्यक्ति किसी अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह कोई जिला न्यायाधीश है या रहा है और उसने नियुक्ति की तारीख को 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

2. राज्य सरकार द्वारा, जिसमें अधिकरण अवस्थित है, पीठासीन अधिकारी का चयन किया जाएगा। चयन पैनल तीन व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जिनमें से एक उस उच्च न्यायालय का एक सेवारत न्यायाधीश होगा जहां पर एक अपील अधिकरण अवस्थित है, राज्य सरकार का विधि सचिव और राज्य सरकार के संबंधित विभाग का सचिव होगा;

3. पैनल की सिफारिशों पर विनिश्चय गठित पैनल के सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा। पैनल अपनी सिफारिश राज्य सरकार को भेजेगा जो कि पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने के लिए अधिसूचित करने से संबंधित आवश्यक कदम उठाएगा। यदि पैनल द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थी एक से अधिक है तब पैनल उनकी योग्यता के क्रम में अभ्यर्थियों को क्रमानुसार रखेगा।

3.2.2 पीठासीन अधिकारी के सेवा के निबंधन और शर्तें

1. पदावधि : अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए या तब तक जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करता है, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारित करेगा।

रिक्ति भरना : यदि अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न किसी कारण से अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होता है तब, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करके रिक्त स्थान को भर सकेगी और अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से चालू रहेंगी जब ऐसी रिक्ति हुई हो।

2. पीठासीन अधिकारी का वेतन और भत्ते : अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उस राज्य, जिसमें अपील अधिकरण अवस्थित है, के सेवारत जिला न्यायाधीश को संदत्त वेतन का संदाय किया जाएगा :

परंतु यदि पीठासीन अधिकारी कोई सेवानिवृत्त फायदे अर्थात् पेंशन, उपदान, अभिदायी भविज़्य निधि में नियोजक का अंशदान आदि प्राप्त करता है तब ऐसे पीठासीन अधिकारी के वेतन को पेंशन की रकम या अभिदायी भविज़्य निधि में नियोजक के अंशदान आदि किसी अन्य रूप में सेवानिवृत्ति फायदे, यदि कोई हो, लिए गए हैं या लिए जा रहे हैं, उनको कम किया जाएगा।

(*i*) **यातायात भत्ता :** पीठासीन अधिकारी जब वह दौरे पर या स्थानातंरण (जिसके अंतर्गत अपील अधिकरण में पद भार ग्रहण करने के दौरान यात्रा या अपील अधिकरण में पदावधि समाप्त हो जाने पर या अपने स्वगृह जाने के लिए) के लिए यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, व्यक्तिगत सामान का परिवहन और इसी प्रकार के अन्य विषयों को उसी वेतनमान, उसी दर पर प्राप्त करने का हकदार होगा जो उस राज्य में जिसमें अपील अधिकरण अवस्थित है, किसी जिला न्यायाधीश को लागू होते हैं।

(*ii*) **छुट्टी यात्रा रियायत :** पीठासीन अधिकारी उस राज्य में, जिसमें अपील अधिकरण अवस्थित है, के जिला न्यायाधीश को लागू होने वाली उसी दर और उसी वेतनमान पर छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करने का हकदार होगा।

(*iii*) **वाहन :** पीठासीन अधिकारी किसी जिला न्यायाधीश को लागू होने वाली स्टाफ कार के समान कार प्राप्त करने का हकदार होगा।

(*iv*) **चिकित्सा उपचार की सुविधाएं :** अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, उस राज्य में, जिसमें अपील अधिकरण अवस्थित है, के जिला न्यायाधीश को लागू होने वाले सेवा नियमों में यथाउपबंधित चिकित्सा उपचार और अस्पताल सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार होगा।

3. त्यागपत्र और हटाया जाना : अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जिसने उसे नियुक्त किया है, को संबोधित करके लिखित में एक सूचना जिसमें उसके हस्ताक्षर हों दे कर त्यागपत्र दे सकेगा। यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को उसके पद से तब हटा सकेगी जब

(*i*) उसे न्यायनिर्णीत दिवालिया घोषित किया गया हो ;

(*ii*) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में ऐसा कोई अपराध के लिए दोषसिद्ध किया है जिसके अंतर्गत नैतिक अधमता अंतर्ग्रस्त है ;

(*iii*) पीठासीन अधिकारी के रूप में शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करने में असमर्थ हो गया है ;

(*iv*) ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिए हैं जिनसे पीठासीन अधिकारी के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ;

(*v*) उसने ऐसा दुर्व्यवहार किया है या अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया है जिसकी वजह से लोक हित में उसके पद पर बने रहना प्रतिकूल है

परंतु, तथापि, पीठासीन अधिकारी को यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा किसी आदेश द्वारा (*iv*) और (*v*) के सिवाय उल्लिखित कारणों के लिए उसके पद से इस प्रकार तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि किसी उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा जांच करने के पश्चात् पीठासीन अधिकारी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना न दे दी गई हो और उसे आरोपों की बाबत सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो और जांच करने वाले व्यक्ति द्वारा यह रिपोर्ट फाइल की गई हो कि पीठासीन अधिकारी को हटाया जाना चाहिए।

यद्यपि (*i*), (*ii*) और (*iii*) की बाबत सरकार का विनिश्चय विश्वसनीय साक्ष्य या दस्तावेजी सबूत पर आधारित होगा और इस बाबत कारण देते हुए आदेश के आधार पर विनिश्चय पर पहुंचना होगा।

4. अवशिष्ट शक्तियां और नियम शिथिल करने की शक्ति

(*i*) **अवशिष्ट शक्तियां :** पीठासीन अधिकारी की सेवा की शर्तों से संबंधित विषय जिनकी बाबत इन नियमों में अभिव्यक्त रूप से उपबंध नहीं किया गया है उन्हें प्रत्येक मामले में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का विनिश्चय पीठासीन अधिकारी पर आबद्धकर होगा।

(*ii*) **शिथिल करने की शक्ति :** यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को पीठासीन अधिकारी से संबंधित इन नियमों में से किसी नियम के उपबंध को शिथिल करने की शक्ति होगी।

India Code

3.3 : अपील अधिकरण को अपील करने के लिए प्रक्रिया और उससे संबंधित विषय

3.3.1 अपील अधिकरण को अपील

1. अपील फाइल करने की परिसीमा : अधिनियम की धारा 68 के अधीन नियुक्त किए गए न्याय निर्णायक अधिकारी के विनिश्चय से अधिनियम की धारा 70 के अधीन उद्भूत होने वाली प्रत्येक अपील आदेश की प्रति, जिसके विरूद्ध अपील फाइल की गई है, जिसके अपीलार्थी को प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, फाइल की जाएगी।

परंतु तथापि यह कि अपील अधिकरण का यदि यह समाधान हो जाता है कि तीस दिन के भीतर अपील फाइल नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था तो वह कोई अपील ग्रहण करने के लिए अधिकतम अन्य तीस दिन की अवधि अनुज्ञात कर सकेगा।

2. अपील का प्ररूप और प्रक्रिया

(*i*) किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा अपील अधिकरण की रजिस्ट्री में अपील का एक ज्ञापन प्ररूप 10 में प्रस्तुत किया जाएगा या रजिस्ट्रार को संबोधित करते हुए रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाएगा।

(*ii*) डाक द्वारा भेजा गया अपील का ज्ञापन रजिस्ट्री में उस दिन प्रस्तुत किया गया समझा जाएगा जिस दिन वह रजिस्ट्री में प्राप्त होता है।

3. अपील के ज्ञापन की अंतर्वस्तु

(*i*) नियम 3.3.1(2) के अधीन फाइल किया गया अपील का प्रत्येक ज्ञापन सुभिन्न शीर्षों के अधीन संक्षिप्त रूप से भेजा जाएगा, ऐसे अपील के आधार पर और ऐसे आधारों को क्रमागत रूप से संख्यांकित किया जाएगा।

(*ii*) अंतरिम आदेश या निदेश प्राप्त करने के लिए अपील का पृष्ठथक ज्ञापन प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा यदि अपील ज्ञापन में उसके लिए अनुरोध किया गया है।

4. अपील या आवेदन या याचिका प्रस्तुत करने की रीति

(*i*) अपील अधिकरण को प्रस्तुत की गई प्रत्येक अपील या याचिका या आवेदन अंग्रेजी में या राज्य की स्थानीय भाषा में होगा और मानक याचिका कागज पर एक ओर से डबल स्पेस में स्वच्छ और स्पष्ट रूप से टंकित या मुद्रित, सम्यक् रुप से पृष्ठांकित, सूचीबद्ध और पुस्तिका प्ररूप में सिला हुआ होगा।

(*ii*) अपील या याचिका या आवेदन पैराओं में विभाजित होगा और क्रमागत रूप से संख्यांकित होगा।

5. परिवर्तनों पर आद्याक्षर करना

अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई किसी अपील या याचिका या आवेदन में पंक्तियों के बीच में कुछ मिटाना या शुद्धि या लोप पक्षकार द्वारा या लिखित में, उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा या उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार के अधिवक्ता द्वारा आद्याक्षरित होगा।

6. अपील, याचिका या आवेदन का प्रस्तुत किया जाना

(*i*) प्रत्येक अपील, याचिका या आवेदन तीन प्रतियों में, यथास्थिति, अपीलकर्ता या याची या आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से या लिखित में या उसके सम्यक् प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा या इस निमित्त सम्यक् रूप से नियुक्त अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और जहां लागू हो, नियत फीस लगी होगी।

(*ii*) प्रत्येक अपील के साथ आक्षेपित आदेश की सत्यापित प्रति लगी होगी।

7. अपील के ज्ञापन की संवीक्षा

(*i*) रजिस्ट्रार प्रत्येक अपील पर नियम 3.3.1 के अधीन प्रस्तुत की गई तारीख या उस नियम के अधीन प्रस्तुत की गई समझी गई तारीख पृष्ठांकित करेगा और पृष्ठांकन पर हस्ताक्षर करेगा।

(*ii*) यदि संवीक्षा किए जाने पर अपील ठीक पाई जाती है तो यह सम्यक् रूप से रजिस्टर की जाएगी और क्रम संख्यांक दिया जाएगा।

(*iii*) यदि संवीक्षा किए जाने पर अपील या याचिका या आवेदन त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो उसे पक्षकार को सूचना देने के पश्चात् अनुपालन के लिए वापस भेजा जाएगा तथा यदि ऐसी सूचना की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित

अवधि के भीतर, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुदत्त की जाए, त्रुटि में सुधार नहीं किया जाता तो रजिस्ट्रार लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील या याचिका या आवेदन को रजिस्टर करने से मना कर सकेगा।

8. एकपक्षीय संशोधन

प्रत्येक अपील या याचिका या आवेदन में अंकगणितीय, व्याकरणीय, लिपिकीय और ऐसी अन्य त्रुटियों में पक्षकारों को सूचना के अधीन रजिस्ट्रार के आदेश पर सुधार किया जा सकेगा।

9. प्रत्यर्थी पर अपील की तामील

अपील ज्ञापन की एक प्रति और अभिलेख पुस्तिका की तामील रजिस्ट्रार द्वारा प्रत्यर्थी को रजिस्ट्री में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के तुरंत पश्चात् अतिशीघ्र दस्ती द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा स्पीड पोस्ट से की जाएगी।

10. अभिलेखों का मंगाया जाना

रजिस्ट्रार अपील या आवेदन या याचिका के ग्रहण किए जाने पर यदि ऐसा अपील अधिकरण द्वारा निदेश दिया जाए तो संबंधित न्याय निर्णायक अधिकारी से कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेख मांग सकेगा और उन्हें कार्यवाहियों के समाप्त होने पर या तत्पश्चात् पुनः पारेषित कर सकेगा।

11. प्रत्यर्थी द्वारा अपील का उत्तर दिया जाना

(*i*) प्रत्यर्थी अपील की सूचना की तामील के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्री को अपील के उत्तर युक्त तीन पूर्ण सेट पेपर बुक प्ररूप में दस्तावेजों सहित फाइल कर सकेगा।

(*ii*) प्रत्येक उत्तर की एक प्रति और उत्तर के साथ उपाबद्ध दस्तावेज/सामग्री की एक प्रति, जिस पर प्रत्यर्थी आश्रित है, प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को तामील की जाएगी।

12. फीस

(*i*) प्रत्येक अपील ज्ञापन के साथ उपनियम (*ii*) में उपबंधित फीस लगी होगी और ऐसी फीस,रजिस्ट्रार खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरणज़ के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर आहरणित क्रास मांगपत्र के रूप में उस स्थान पर संदेय, जहां अपील अधिकरण अवस्थित है, प्रेषित होगी।

(*ii*) अधिनियम की धारा 68 के अधीन पारित न्याय निर्णयन आदेश के विरुद्ध अपील की बाबत संदेय फीस की रकम निम्नानुसार होगी रू

क्र.सं.	अधिरोपित शास्ति की रकम	संदेय फीस की रकम
1.	10,000/- रु0 से कम	500/-रु0
2.	दस हजार रु0 या अधिक किंतु एक लाख रुपए से कम	1500/- रु0
3.	एक लाख रुपए या अधिक 1500/-रु0, धन	500/- रु0 प्रत्येक एक लाख की अतिरिक्त शास्ति या उसके भाग के लिए अधिकतम 5000 हजार रुपए के अधीन रहते हुए।

3.3.2 अपील अधिकरण से संबंधित साधारण विषय

1. अपील अधिकरण की बैठक के घंटे

अपील अधिकरण की बैठक के घंटे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के अधीन रहते हुए, सामान्यतः 11.00 पूर्वाह्न से 1.30 अपराह्न और 2.30 अपराह्न से 5.00 अपराह्न तक होंगे।

अपील अधिकरण के कार्य घंटे

(*i*) अपील अधिकरण का कार्यालय उन सभी कार्य दिवसों को खुला रहेगा, जिनको राज्य सरकार के कार्यालय खुले रहते हैं और अपील अधिकरण के कार्यालय के कार्य घंटे उस राज्य सरकार को लागू कार्य घंटे होंगे, जिसमें अपील अधिकरण अवस्थित है।

IndiaCode

(*ii*) रजिस्ट्री के फाइल करने का पटल सभी कार्य दिवसों को 11.00 पूर्वाह्न से 4.30 अपराह्न तक खुला रहेगा।

2. अपील अधिकरण की भाषा

(*i*) अपील अधिकरण की कार्यवाहियां अंग्रेजी में या राज्य की स्थानीय भाषा में संचालित की जाएंगी

(*ii*) अपील अधिकरण द्वारा अपील अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में फाइल किया गया कोई दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि अंग्रेजी में उसके अनुवाद की सत्य प्रति संलग्न न हो।

3. अपील अधिकरण की शासकीय मुद्रा

(*i*) अपील अधिकरण की शासकीय मुद्रा वह होगी, जो समय-समय पर पीठासीन अधिकारी विनिर्दिष्ट करे।

(*ii*) अपील अधिकरण की शासकीय मुद्रा रजिस्ट्रार की अभिरक्षा में रखी जाएगी।

(*iii*) पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई साधारण या विशेष निदेश दिए जाने के अधीन रहते हुए अपील अधिकरण की शासकीय मुद्रा किसी आदेश, समन या अन्य आदेशिका पर रजिस्ट्रार से लिखित में प्राधिकार के अधीन के सिवाय नहीं लगायी जाएगी।

(*iv*) अपील अधिकरण की शासकीय मुद्रा अपील अधिकरण द्वारा जारी किसी सत्यापित प्रति पर रजिस्ट्रार से लिखित में प्राधिकार के अधीन के सिवाय नहीं लगायी जाएगी।

4. निदेश या नियम का रूप विधान

प्रत्येक निदेश, समन, अधिकार पत्र या अन्य आज्ञापक आदेशिका पीठासीन अधिकारी के नाम से जारी की जाएगी और रजिस्ट्रार या पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर करने की तारीख, मास और वर्ष के साथ हस्ताक्षरित की जाएगी और अपील अधिकरण की मुद्रा के साथ मुद्रांकित की जाएगी।

5. अपील अधिकरण के आसीन न रहने के कारण वाद सूची को अग्रेषित करना और मामलों का आस्थगन

यदि सार्वजनिक अवकाश की घोषणा होने के कारण या किसी अन्य अकल्पित कारण से अपील अधिकरण उस दिन कार्य नहीं करता है तो उस दिन के लिए दैनिक वाद सूची जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए, उस दिन के लिए पहले से ही लगाए गए मामलों के अतिरिक्त अगले कार्य दिवस के लिए दैनिक वाद सूची समझी जाएगी।

6. कार्यवाहियों का अभिलेख

प्रत्येक अपील में मामला डायरियां भारसाधक लिपिक द्वारा ऐसे प्ररूप में जो पीठासीन अधिकारी द्वारा विहित किया जाए रखी जाएगी और वे स्पष्ट रूप से लिखी की जाएंगी। मुख्य फाइल की डायरी में अपील या याचिका या आवेदन का संक्षिप्त इतिहास और उस पर पारित किए गए आदेश(शों) का सार अंतर्विष्ट होगा।

7. आदेश पत्र

(*i*) प्रत्येक कार्यवाही में आदेश पत्र बनाए रखा जाएगा और उसमें समय-समय पर अपील अधिकरण द्वारा पारित सभी आदेश अंतर्विष्ट होंगे।

(*ii*) आदेश पत्र में अपील या याचिका या आवेदन की संदर्भ संख्या, आदेश की तारीख और उसके संक्षिप्त वाद शीर्षक सहित सभी आनुषंगिक ब्यौरे होंगे।

8. अपील अधिकरण में मामलों को लाया जाना

भारसाधक लिपिक किसी निदेश के अधीन रहते हुए, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जा सकेगा, क्रमांक में वाद सूची में सूचीबद्ध मामलों को लाएगा।

9. सूचना जारी करना

(*i*) जहां किसी अपील या याचिका या आवेदन की सूचना अपील अधिकरण द्वारा जारी की जाती है वहां उसकी प्रति, उसके समर्थन में शपथपत्र और उसके साथ फाइल किए गए अन्य दस्तावेजों की प्रति, यदि कोई हो, सूचना के साथ अन्य पक्षकार को तामील की जाएगी।

(*ii*) पूर्वोक्त प्रतियों में अपील या याचिका या आवेदन के प्रस्तुत किए जाने की तारीख और उस पक्षकार के अधिवक्ता का नाम, उसके पूरे पते सहित, तामील के लिए और उस पर किए गए अंतरिम आदेश के लिए यदि कोई हो, दर्शित होगी।

(*iii*) अपील अधिकरण समुचित मामलों में सूचना जारी करने के लिए आदेश दे सकेगा और संब) पक्षकार को उक्त किसी निजी सेवा द्वारा अन्य पक्षकार पर सूचना की तामील के लिए अनुज्ञात कर सकेगा और ऐसे मामले में ऐसे पक्षकार को सूचना परिदत्त कर सकेगा तथा यह संब) पक्षकार पर निर्भर है कि वह सबूत के साथ तामील करने का शपथपत्र फाइल करेगा।

10. समन

जब कभी निजी सेवा द्वारा समन या सूचना आदेश किया जाता है तो, यथास्थिति, अपीलार्थी या आवेदक या याची जब तक कि अन्य पक्षकार पर अग्रिम रूप में तामील कर दी गई हो, अपील या आवेदन या याचिका की प्रति की तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या कूरियर सर्विस द्वारा करवाने की व्यवस्था करेगा और सुनवाई के लिए नियत तारीख से पूर्व अभिस्वीकृति के सबूत के साथ तामील किए जाने का शपथपत्र फाइल करेगा।

11. नए सिरे से सूचना जारी किए जाने के लिए कदम

यदि कोई सूचना नियम 3.3.3(9) में अविनिर्दिष्ट परिस्थितियों में बिना तामील के वापस आ जाती है तो उसके तथ्य और कारण रजिस्ट्री की सूचना पट पर तुरंत अधिसूचित किए जाएंगे। अपीलार्थी या आवेदक या याची ऐसी अधिसूचना की तारीख से सात दिन के भीतर नए सिरे से सूचना की तामील किए जाने के लिए कदम उठाएंगे।

12. नए सिरे से सूचना जारी करने के लिए कदम उठाने में असफल रहने के परिणाम

जहां अन्य पक्षकार को समन जारी किया जाता है और वह बिना तामील किए वापस आ जाता है तथा यथास्थिति, अपीलार्थी या आवेदक या याची अपील अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी पर सूचना की वापसी की तारीख से आदेशित अवधि के भीतर आवश्यक कदम उठाने में असफल रहते हैं तो उसके पश्चात् रजिस्ट्रार मामले को अपील अधिकरण के समक्ष और निदेश दिए जाने या गैर अभियोजन के लिए खारिज किए जाने के लिए प्रस्तुत करेगा।

13. प्रत्यर्थी के उपसंजात होने का व्यतिक्रम और परिणाम

जहां प्रत्यर्थी उस पर समन या सूचना की प्रभावी तामील के बावजूद सुनवाई के लिए नियत तारीख पर अपील अधिकरण के समक्ष उपसंजात नहीं होता है तो अधिकरण अपील या आवेदन या याचिका पर एकपक्षीय सुनवाई के लिए अग्रेषित होगा और गुणागुण के आधार पर अंतिम आदेश पारित करेगा।

14. प्रत्यर्थी द्वारा आक्षेपों का फाइल किया जाना

(*i*) प्रत्यर्थी, यदि अपील अधिकरण द्वारा ऐसी वांछा की जाए तो अपील अधिकरण द्वारा अनुज्ञात समय के भीतर आक्षेप या प्रतिवाद फाइल करेगा। जब कभी प्रथम बार नए तथ्य प्रस्तुत किए जाएं तब किसी अपील या याचिका के रूप में सत्यापित किए जाएंगे, अपील अधिकरण की इजाजत अभिप्राप्त की जाएगी।

(*ii*) किसी कार्यवाही में यदि प्रत्यर्थी को आक्षेप या प्रतिवाद फाइल किए जाने के लिए अनुज्ञात किया जाता है तो वह यथास्थिति, अपीलार्थी या आवेदक या याची या अभिलेख पर उनके अधिवक्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधि को उसकी प्रतियों की तामील करने के पश्चात् उसकी तीन प्रतियां भी फाइल करेगा।

15. अभिलेखों का निरीक्षण

अपील अधिकरण के समक्ष किन्हीं कार्यवाहियों के पक्षकार या उनके अधिवक्ता या प्राधिकृत प्रतिनिधियों को रजिस्ट्रार को इस निमित्त कोई आवेदन करके और ऐसे निरीक्षण के लिए विहित फीस का संदाय करके ऐसी कार्यवाहियों के अभिलेखों का निरीक्षण करना अनुज्ञात किया जा सकेगा।

16. निरीक्षण का अनुदत्त किया जाना

(*i*) नियम 3.3.3 (15) के अधीन अभिलेख के निरीक्षण के लिए कोई आवेदन विहित प्ररूप में होगा और किसी कार्यदिवस को 10.30 पूर्वा0 और 3.00 अप0 के बीच और उस तारीख से तीन दिन पूर्व, जिसको निरीक्षण किया जाना है जब तक कि अन्यथा रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात न किया जाए, रजिस्ट्री के फाइल करने के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

IndiaCode

(*ii*) रजिस्ट्री रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी अभियुक्तियों सहित आवेदन प्रस्तुत करेगी, जो उस पर विचार करने के पश्चात् समुचित आदेश पारित करेगी।

17. निरीक्षण के लिए संदेय फीस

खाद्य प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट फीस किसी लंबित या विनिश्चित मामले के अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए किसी आवेदन पर संदेय होगी। ऐसी फीस,रजिस्ट्रार, खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के पक्ष में आहरणित मांगपत्र के माध्यम से संदत्त की जाएगी और उस स्थान पर संदेय होगी, जहां अपील अधिकरण अवस्थित है।

18. निरीक्षण की रीति

(*i*) रजिस्ट्री, अभिलेखों के निरीक्षण के लिए अनुज्ञा अनुदत्त करने पर मामले के अभिलेख को उपाप्त करने के लिए व्यवस्था करेगी और रजिस्ट्रार द्वारा नियत तारीख और समय पर इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की ठीक उपस्थिति में ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण अनुज्ञात करेगी।

(*ii*) अभिलेखों का निरीक्षण करने वाला व्यक्ति, किसी भी रीति में निरीक्षण के दौरान अभिलेखों को अस्त-व्यस्त, विकृत, छेड़छाड़ या नुकसान कारित नहीं करेगा।

(*iii*) निरीक्षण करने वाला व्यक्ति इस प्रकार निरीक्षण किए गए किसी अभिलेख या कागज पर कोई चिन्हांकन नहीं करेगा और कोई नोट यदि कोई हो, नहीं लेगा, दस्तावेजों या अभिलेखों का निरीक्षण केवल पेंसिल द्वारा किया जा सकेगा।

(*iv*) निरीक्षण का पर्यवेक्षण करने वाला रजिस्ट्री अधिकारी किसी भी समय आगे निरीक्षण को प्रतिषि) कर सकेगा यदि उसकी राय में कोई अभिलेख निरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान नुकसानग्रस्त होने वाला है या अभिलेखों का निरीक्षण करने वाले व्यक्ति ने इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है या उल्लंघन करने कर प्रयास किया है तथा रजिस्ट्रार को उस विषय के बारे में तुरंत रिपोर्ट करेगा तथा रजिस्ट्रार से और आदेश प्राप्त करेगा।

19. निरीक्षण रजिस्टर को बनाए रखना

रजिस्ट्री, दस्तावेजों या अभिलेखों के निरीक्षण के प्रयोजन के लिए एक रजिस्टर रखेगी और ऐसा निरीक्षण करने वाले व्यक्ति के उसमें तथा निरीक्षण के समापन पर आवेदन पर हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगी।

20. दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए आवेदन और समन का प्ररूप

(*i*) इसमें इसके नीचे यथा उपबंधित के सिवाय दस्तावेजों का प्रकटीकरण या प्रस्तुतीकरण और दस्तावेजों की वापसी सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के उपबंधों द्वारा विनियमित होगी।

(*ii*) दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए समनों के लिए किसी आवेदन में उन दस्तावेज (जों), जिनको प्रस्तुत किए जाने की मांग की गई है, दस्तावेजों की सुसंगता दी जाएगी और उस दशा में जहां सत्यापित प्रति का प्रस्तुत किया जाना प्रयोजन को पूरा करेगा वहां चाहे आवेदन समुचित अधिकारी को किया गया हो या नहीं और उसका परिणाम कुछ भी रहा हो।

21. दस्तावेजों का स्वःप्रेरणा से समन किया जाना

इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अपील अधिकरण स्वप्ररेणा से लोक दस्तावेजों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के लिए समन जारी कर सकेगा।

3.3.3. रजिस्ट्रार की शक्तियां और कृत्य तथा संबंधित विषय

1. रजिस्ट्रार पीठासीन अधिकारी के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा। वह ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो उसे इन नियमों के अधीन पीठासीन अधिकारी द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

2. रजिस्ट्रार के पास अपील अधिकरण के अभिलेखों की अभिरक्षा होगी।

3. रजिस्ट्रार की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, जैसे

(*i*) अपीलों, याचिकाओं और आवेदनों का रजिस्ट्रीकरण।

(*ii*) अपील या याचिका या आवेदन या पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों के संशोधन के लिए आवेदन प्राप्त करना।

(*iii*) पीठासीन अधिकारी के निदेशों के अधीन रहते हुए अपील या अन्य कार्यवाहियों की सुनवाई के लिए तारीख नियत करना और उस पर सूचना जारी करना।

(*iv*) कार्यवाहियों के पक्षकारों को दस्तावेजों की प्रतियों को अनुदत्त करने के लिए आदेश देना।

(*v*) सूचनाओं की तामील या अन्य आदेशिकाओं, नए सिरे से सूचना जारी करने के लिए आवदेन या समय विस्तारण के लिए या प्रत्यर्थी पर विशिष्ट पद्धति का आदेश करने से संबंधित विषयों का निपटारा करना, जिनके अंतर्गत समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से सूचना के प्रकाशन द्वारा प्रतिस्थापित तामील भी है।

(*vi*) न्यायनिर्णायक अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी की अभिरक्षा से अभिलेखों की अध्यपेक्षा करना।

4. दैनिक वाद सूची तैयार करना और उसका प्रकाशन

(*i*) रजिस्ट्री प्रत्येक कार्यदिवस के कार्य घंटों की समाप्ति से पूर्व वाद सूची तैयार करेगी और उसे रजिस्ट्री के सूचना पट्ट पर अगले कार्यदिवस के लिए प्रकाशित करेगी तथा पीठासीन अधिकारी के निदेशों के अधीन रहते हुए दैनिक वाद सूची में वादों को सूचीबद्ध किया जाना, निम्नलिखित पूर्वीकता क्रम में होगा :

''आदेशों की उद्घोषणा'' के लिए मामले

(क) ''स्पष्टीकरण'' के लिए मामले

(ख) ''ग्रहण करने'' के लिए मामले

(ग) ''आदेशों या निदेशों'' के लिए मामले

(घ) भागत: सुने गए मामले, अद्यतन भागत: सुने गए मामले जिनमें नजीर हैं

(ङ) अंकीय क्रम के अनुसार लगाए गए या पीठासीन अधिकारी द्वारा यथानिदेशित मामले।

(*ii*) दैनिक वाद सूची के शीर्षक में, अपील या याचिका या आवेदन संख्यांक, अपील अधिकरण के आसीन रहने का दिन, तारीख और समय और पीठासीन अधिकारी का नाम उपदर्शित करते हुए गणपूर्ति अंतर्विष्ट होगी।

(*iii*) दैनिक वाद सूची में सूचीबद्ध प्रत्येक मामले की संख्यांक के सामने निम्नलिखित दर्शित किया जाएगा, अर्थात् रू--

(*iv*) दोनों पक्षों की ओर से उपसंजात होने वाले अधिवक्ता(ओं) के नाम और कोज्ठक में उन पक्षकारों के ब्यौरे जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं दिए गए हों।

(*v*) पक्षकारों के नाम, यदि उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है कोज्ठक में उनके ब्यौरों सहित दें।

(*vi*) रजिस्ट्री के आक्षेप और विशेष निदेश, यदि कोई हों, दैनिक वाद सूची के अभियुक्तियों वाले स्तंभ में जब कभी अनुपालन अपेक्षित हों संक्षिप्त रूप से उपदर्शित किए जाएंगे।

3.3.4. अपील अधिकरण के आदेश और संबद्ध विषय

1. आदेश

(*i*) अपील अधिकरण के प्रत्येक आदेश पर पीठासीन अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे। पीठासीन अधिकारी को कारण जो लेखबद्ध किए जाएंगे, के अधीन रहते हुए अंतरिम आदेश या व्यादेश पारित करने की शक्ति होगी, जिसे वह न्याय के हित में आवश्यक समझाता है।

(*ii*) पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश, अपील अधिकरण बैठक में सुनाए जाएंगे।

(*iii*) आदेश के प्रवर्तनशील भाग का पठन आदेश का सुनाया जाना समझा जाएगा।

(*iv*) जब आदेशों को आरक्षित किया गया है तब आदेश को सुनाए जाने की तारीख वाद सूची में अधिसूचित की जाएगी जो सुनाए जाने को सूचित करने की विधिमान्य सूचना होगी।

2. आदेशों की संसूचना

अपील अधिकरण द्वारा पारित प्रत्येक आदेश की सत्यापित प्रति, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी और पक्षकारों को संसूचित की जाएगी।

IndiaCode

3. आदेशों का प्रकाशन

अपील अधिकरण के आदेश जो प्रेस में प्रकाशन के लिए उचित समझे जाते हैं, ऐसे प्रकाशन के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो पीठासीन अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं जारी किए जांएगे।

4. प्रविष्टियां करना

रजिस्ट्रार पीठासीन अधिकारी द्वारा आदेश के सुनाए जाने के तुरंत पश्चात् मामले की फाइल पर उसे सुनाए जाने की तारीख और निपटारे की प्रकृति के संबंध में आवश्यक पृष्ठांकन करेगा और उसके द्वारा रखी जाने वाली डायरी में भी आवश्यक प्रविष्टियां करेगा।

5. निपटारे के पश्चात् मामला फाइलों की अनुक्रमणिका बनाना

रजिस्ट्रार, पक्षकारों और उनके काउंसेल को आदेश की संसूचना के पश्चात् पृष्ठवार अनुक्रमणिका अभिलेखों को व्यवस्थित करेगा और पत्र ऐसे प्ररूप में, जो अपील प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए, तैयार करेगा। वह आद्याक्षर करेगा और तब अनुक्रमणिका सहित अभिलेखों को अभिलेख कक्ष में पारेषित करेगा।

6. आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में भेजना

(*i*) रजिस्ट्री का भारसाधक अधिकारी प्रत्येक अंतिम आदेश की प्रतियां पुस्तकालय को भेजेगा।

(*ii*) प्रत्येक मास में प्राप्त सभी अंतिम आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में पष्ठथक फोल्डर में रखी जाएंगी, आदेश के सुनाए जाने की तारीख के क्रम में व्यवस्थित की जाएंगी, सम्यक्त रूप से अनुक्रमणिका की जाएंगी और सिली जाएंगी।

7. कठिनाइयां दूर करना और निदेश जारी करना

इन नियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कहीं नियम मौन हैं और कोई उपबंध नहीं किया गया है पीठासीन अधिकारी कठिनाइयां दूर करने के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा और ऐसी स्थिति या आकस्मिकता को शासित करने के लिए जो अपील अधिकरण के कार्यकरण में उत्पन्न हो, ऐसे आदेश या परिपत्र जारी कर सकेगा।

Infiacode

प्ररूप 1

शपथपत्र का प्ररूप

लेखा बहियां और अन्य दस्तावेजों का अभिग्रहण

(नियम 2.2.2 देखें)

मैं, _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री _____ आयु लगभग _____ वर्ष, निवासी _____ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और शुद्ध हृदय से निम्नलिखित कथन करता हूं :

1. मैं _____ प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड (यहां फर्म या कंपनी का नाम दें) का, जिसका कार्यालय/कारबार/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय _____ पर स्थित है, एकमात्र स्वामित्वधारी/भागीदार/निदेशक/कर्मचारी हूं ।

2. मैं कथन करता हूं कि तारीख _____ को लगभग _____ पूर्वा0/अप0 में खाद्य सुरक्षा अधिकारी _____ ने (यहां पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का प्रचालन क्षेत्र दें) _____ पर स्थित परिसरों का निरीक्षण किया/तलाशी ली, जहां मैं _____ प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड का कारबार चला रहा हूं । ऐसे निरीक्षण/तलाशी के दौरान, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कारबार से संबंधित कतिपय लेखा बहियों और दस्तावेजों का अभिग्रहण किया है ।

3. मैं कथन करता हूं कि निरीक्षण/तलाशी के दौरान अभिगष्टहीत लेखाबहियां और दस्तावेज कारबार चलाने के लिए अपेक्षित हैं और यह आवश्यक है कि वे मुझे तुरंत वापस किए जाएं ।

4. मेरे अनुरोध पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, निरीक्षण/तलाशी के दौरान अभिगष्टहीत लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज ऐसी लेखाबहियों और पुस्तकों के उद्धरण, उन्हें मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जाने के अधीन रहते हुए, वापस करने के लिए सहमत हो गए हैं । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मेरे द्वारा अपेक्षित उद्धरणों या प्रतियों के ब्यौरे मुझे दे दिए हैं ।

5. मैं कथन करता हूं कि मैंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी/ _____ (नाम), जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी के विभाग में एक अधिकारी के रूप में कार्यरत है, की उपस्थिति में लिए जाने के लिए इस प्रकार अपेक्षित उद्धरण/प्रतियां करवा दी हैं ।

6. मैं पुष्टि और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र के साथ उपाब) तारीख _____ को अभिगृहीत लेखाबहियों और अन्य दस्तावेजों के उद्धरण/प्रतियां सत्य, अधिप्रमाणित और वास्तविक हैं और उसकी पुष्टि में मैंने ऐसे उद्धरण/प्रतियों के प्रत्येक पन्ने पर आद्याक्षर कर दिए हैं ।

7. मुझे ज्ञात है कि इस शपथपत्र में दी गई प्रतिज्ञान घोषणा के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी पूर्वोक्त तारीख _____ को यथा अभिग्रहीत लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को वापस करने के लिए सहमत हो गया है ।

8. मैं वचन देता हूं कि किसी भी समय जिसकी अभिहित अधिकारी या खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा या किसी जांच कार्यवाही के समक्ष या किसी न्यायनिर्णायक कार्यवाही के समक्ष, जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मेरे या _____ प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड या दोनों के विरुद्ध आरंभ की जाएगी, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों या उनके किसी भाग को प्रस्तुत करूंगा ।

(अभिसाक्षी के हस्ताक्षर)

सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान किया गया और मेरे समक्ष _____ तारीख को हस्ताक्षरित किया गया

नोटेरी पब्लिक

प्ररूप 2

अभिग्रहण ज्ञापन

(नियम 2-3-1 निर्दिष्ट करें)

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 38 के अधीन मुझे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, मैसर्स _____ _____ के परिसरों से नीचे वर्णित खाद्य उत्पादों/दस्तावेजों को अभिग्रहीत/निरोधित करता हूं, जो इस अधिनियम की धारा _____ के उपबंध का उल्लंघन करते हैं ।

क्रम सं.	**उत्पाद का नाम**	**बैच सं0**	**यूनिटों की सं0**	**मात्रा किग्रा0 में**
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

निरोध/अभिग्रहण किया गया है और निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में सूची तैयार की गई है ।

साक्षियों का नाम और पता हस्ताक्षर

1.

2.

निरोधित/अभिग्रहीत उत्पाद सम्यक् रूप से सीलबंद कर दिए गए हैं और इस अनुदेश के साथ कि सील के साथ कोई छेड़छाड़ न करे और अगला आदेश होने तक उत्पादों का व्ययन न करे श्री _____ की अभिरक्षा में छोड़ दिए गए हैं ।

विनिर्माता/व्यौहारी के हस्ताक्षर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम _____

स्थान _____

तारीख _____

IndiaCode

प्ररूप 3

अभिग्रहण आदेश का प्ररूप

(नियम 2.3.2(1) के प्रतिनिर्देश करें)

सेवा में

(खाद्य कारबार कर्ता का नाम और पता)

नीचे वर्णित विक्रय के लिए आशयित खाद्य वस्तु ———————— जो आपके कब्जे में हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा ——— के अधीन अपमिश्रित/मिथ्या छाप वाली हैं :

क्रम सं०	उत्पाद का नाम	बैच सं०	यूनिटों की सं०	मात्रा किग्रा० में
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

अत: अब मैं खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 38 की उपधारा (1) के खंड(ग) के अधीन आपको निदेश देता हूं कि आप उक्त सीलबंद किए गए स्टाक को ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो तत्पश्चात् उसके संबंध में जारी किए जाएं सुरक्षित अभिरक्षा में रखें ।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी
क्षेत्र————————

स्थान————————
तारीख————————

IndiaCode

प्ररूप 4

(नियम 2.3.2(2) के प्रतिनिर्देश करें)

प्रतिभूत बंधपत्र का प्ररूप

यह सबको ज्ञात हो कि हम (i) _____ का पुत्र _____ निवासी _____ और (ii) _____ का पुत्र _____ निवासी _____ मैसर्स _____ जिसे इसमें इसके पश्चात् खाद्य कारबार कर्त्ता कहा गया है के स्वामिस्वधारी/ भागीदार/ कर्मचारी हैं और (iii) _____ का पुत्र _____ निवासी _____ और (iv) _____ का पुत्र _____ निवासी _____ जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रतिभू कहा गया है, भारत सरकार के राष्ट्रपति/_____ के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कहा गया है के प्रति रु०_____ जिनका संदाय सरकार को किया जाना है, जिनके लिए संदाय वास्तव में किया जाएगा ।

हम दृढ़तापूर्वक स्वयं संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से इस विलेख, जो तारीख_____ को हस्ताक्षरित किया गया द्वारा आबद्ध करते हैं । श्री _____ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने _____ को (यहां सामग्रियों का ब्यौरा संख्यांक/मात्रा तथा कोई कीमत सहित अंतर्विष्ट करें जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त वस्तु कहा गया है) _____ से (स्थान विनिर्दिष्ट करें) अभिगृहीत किया है ।

सरकार, खाद्य कारबार कर्त्ता (कत्ताओं) के अनुरोध पर खाद्य कारबार कर्त्ता (कत्ताओं) के पास सुरक्षित अभिरक्षा में उक्त वस्तुओं को रखने के लिए तैयार हो गई है, जिसके लिए प्रतिभू/दो प्रतिभूतियों द्वारा अंतर्विष्ट और समर्थ उन निबंधनों पर जो इसमें दी गई हैं एक बंधपत्र निष्पादित किया गया है जिन पर खाद्य कारबार कर्त्ता (कत्ताओं) ऐसा करने के लिए सहमत हो गया है/हो गए हैं । अब ऊपर लिखित बाध्यता की शर्त ऐसी है कि यदि खाद्य कारबार कर्त्ता ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष उक्त वस्तुओं को ज्यों का त्यों ऐसी तारीख (खों) को जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो उस दशा में खाद्य कारबार कर्त्ता और/या प्रतिभू/प्रतिभूतियां सरकार को मांग किए जाने पर बिना आपत्ति के _____ रुपए की रकम का संदाय तुरंत करेंगे और तत्पश्चात् उक्त बंधपत्र शून्य हो जाएगा तथा उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । अन्यथा वह पूर्णत: प्रभावी रहेगा ।

ये विलेख आगे भी निम्नलिखित साक्ष्य देते हैं :

(i) नीचे प्रतिभू/प्रतिभूतियों का दायित्व किसी तत्समय अनुदत्त माफी के कारण, चाहे वह खाद्य कारबार आपरेटरों द्वारा निष्पादित या उन्मोचित दायित्वों या शर्तों में से सभी या किन्हीं की बाबत सरकारी की भूलचूक के कारण चाहे वह प्रतिभूतियों या उनमें से किसी के ज्ञान या सहमति के सहित या रहित दी गई हो, कम नहीं होगा या उन्मोचित नहीं होगा । न ही सरकार को यह आवश्यक होगा कि वह नीचे शोध्य रकम के लिए प्रतिभूतियों या उनमें से किसी के ऊपर वाद लाने से पूर्व खाद्य कारबार आपरेटरों के ऊपर वाद लाए ।

(ii) किसी कृत्य के निष्पादन के लिए जिसमें जनता हितबद्ध है बंधपत्र खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन दिया गया है ।

(iii) सरकार इन विलेखों पर संदेय स्टाम्प शुल्क को वहन करेगी ।

उसके साक्षियों के समक्ष ये विलेख खाद्य कारबार कर्त्ता (कत्ताओं) और भूतिभू/प्रतिभूतियों द्वारा और भारत के राष्ट्रपति की ओर से श्री _____ द्वारा इसमें नीचे वर्णित तारीख को हस्ताक्षरित किए गए हैं और नीचे उनके हस्ताक्षर के सामने तारीख दी गई हैं ।

साक्षी

1._____(हस्ताक्षर)
(नाम और पता)_____

2. _____(हस्ताक्षर)
(नाम और पता)_____

हस्ताक्षर----------(खाद्य कारबार आपरेटर)----------

हस्ताक्षर----------(खाद्य कारबार आपरेटर)----------

हस्ताक्षर----------(प्रतिभू)----------

हस्ताक्षर----------(प्रतिभू)----------

भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल की ओर से

हस्ताक्षर----------

(पदनाम)----------

IndiaCode

प्ररूप 5क

खाद्य कारबार आपरेटर को सूचना का प्ररूप

(नियम 2.4.1(3) के प्रतिनिर्देश करें)

सेवा में

प्रिय महोदय/महोदया

मैंने आज तारीख _____ को _____ पर स्थित _____ परिसर/दुकान/बाजार से नीचे यथाविनिर्दिष्ट खाद्य के नमूने लिए हैं जिनको _____ के लिए खाद्य विश्लेषक द्वारा उसी प्रकार विश्लेषित किया जाना है ।

IndiaCode

खाद्य के ब्यौरे _____

कोड संख्यांक _____

परीक्षण किए जाने वाले मानदंड _____

1. विशिष्ट उत्पादकों के लिए एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार ।
2. किया जाने वाला कोई अतिरिक्त परीक्षण, यदि कोई है ।

स्थान _____ (ह०-) खाद्य सुरक्ष अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी

तारीख _____

पता _____

अभिस्वीकृति _____

खाद्य कारबार कर्त्ता के हस्ताक्षर

साक्षी

साक्षी

प्ररूप 5ख

क्रेता द्वारा दी जाने वाली सूचना का प्ररूप
(नियम 2.4.4 (2) के प्रतिनिर्देश करें)

सेवा में

प्रिय महोदय/महोदया

मैंने आज तारीख _____ को _____ पर स्थित _____ परिसर/दुकान/बाजार से नीचे यथाविनिर्दिष्ट खाद्य के नमूने लिए हैं जिनको _____ के लिए खाद्य विश्लेषक द्वारा उसी प्रकार विश्लेषित किया जाना है ।

खाद्य के ब्यौरे _____

कोड सं० _____

परीक्षण किए जाने वाले मानदंड _____

1. विशिष्ट उत्पादकों के लिए एफएसएसएआई के मानकों के अनुसार ।
2. किया जाने वाला कोई अतिरिक्त परीक्षण, यदि कोई है ।

स्थान _____

तारीख _____

पता _____

IndiaCode

प्ररूप 6

खाद्य विश्लेषक को ज्ञापन

प्रेषक

सेवा में

खाद्य विश्लेषक तारीख_____

ज्ञापन

(नियम 2.4.1(11) के प्रतिनिर्देश करे)

1. नीचे वर्णित नमूना विश्लेषण के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा _____ के अधीन _____ को विश्लेषण के लिए भेजा जाता है ।

 (*i*) कोड संख्यांक

 (*ii*) संग्रहण की तारीख और स्थान

 (*iii*) विश्लेषण के लिए प्रस्तुत की गई वस्तुओं की प्रकृति

 (*iv*) नमूने में अपमिश्रित परिरक्षक, यदि कोई हो, की प्रकृति और मात्रा

2. इस ज्ञापन की एक प्रति और नमूने के पैकेट को सील किए जाने में प्रयुक्त सील की नमूना छाप पष्ठथक् रूप से डाक/कूरियर/दस्ती द्वारा परिदान के लिए भेजा जा रहा है (जो लागू न हो उसे काट दें)

(ह०) खाद्य सुरक्षा अधिकारी

पता :

IndiaCode

प्ररूप 7क

[नियम 2.4.4(6) के प्रतिनिर्देश करें]

खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट

रिपोर्ट सं॰_____

प्रमाणित किया जाता है कि मुझे _____(खाद्य विश्लेषक का नाम) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के उपबंधों के अधीन सम्यक् रूप से _____ के लिए (स्थानीय क्षेत्र का नाम) नियुक्त किया गया है, मैंने क्षेत्रओ के पदाभिहित अधिकारी का _____ से ओ *_____ का एक नमूना, जिसका कोड सं॰ और क्र॰सं॰ _____ है _____ तारीख _____ को (नमूना लेने की तारीख) विश्लेषण के लिए प्राप्त किया है ।

आधान पर और प्राप्ति के बाह्य खोल पर मुद्रा की स्थिति निम्नानुसार है :

ज्यों कि त्यों/क्षतिग्रस्त/लुप्त (जहां लागू न हो उसे काट दें)

मैंने खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अध्याय 5 की मद सं॰ के अधीन आने वाले _____ का (नमूने का प्रवर्ग) नमूना प्राप्त किया है । नमूना विश्लेषण के लिए ठीक स्थिति में था और _____ तारीख को (विश्लेषण आरंभ करने और पूरा करने की तारीख दें) विश्लेषण किया है तथा विश्लेषण का परिणाम नीचे दिया गया है/नीचे दिए गए कारण से विश्लेषण के लिए ठीक स्थिति में नहीं थे ।

कारण:

विश्लेषण रिपोर्ट

नियम 2.4.2(5) के प्रतिनिर्देश करें

(*i*) नमूना वर्णन (उसमें क्या अंतर्विष्ट है)

(*ii*) नमूना/आधान की भौतिक रूप

(*iii*) लेबल घोषणा

क्र॰सं॰	क्वालिटी के लक्षण	प्रयुक्त परीक्षण की पद्धति की प्रकृति	परिणाम	निम्नानुसार विहित मानक (क) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, नियम और विनियमों के उपबंध
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

रिपोर्ट (नमूना वार)

-अपमिश्रित/मिथ्या छाप वाली /मानदंडों के भीतर/_____के उपबंध का उल्लंघन होता है (जहां लागू न हो उसे काट दें)
- कोई अन्य संप्रेक्षण

_____तारीख_____को हस्ताक्षरित

पता_____

(ह॰/-) खाद्य विश्लेषक

* भेजने वाले के ब्यौरे दें

** लागू न हो उसे काट दें

*** जब राय और निर्वचन सम्मिलित हों तब वह दस्तावेज जिसके आधार पर राय/निर्वचन किया गया है ।

IndiaCode

प्ररूप 8

[नियम 2.4.6 (1) के प्रतिनिर्देश]
अभिहित अधिकारी के समक्ष अपील का प्ररूप

अभिहित अधिकारी के समक्ष अपील

(स्थान)

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 46(4) के अधीन अपील के मामले में

और

खाद्य विश्लेषक से----------तारीख की रिपोर्ट के विरुद्ध अपील के मामले में

1. खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की सं॰ और तारीख, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है
2. तथ्यों और आधारों के संक्षिप्त ब्यौरे जिन पर रिपोर्ट को चुनौती दी गई है
3. दावा किया गया अनुतोष

अपीलार्थी के हस्ताक्षर

IndiaCode

प्ररूप सं॰ 9

(नाम निर्देशन का प्ररूप-नियम 2.5.1 के प्रतिनिर्देश करें)

किसी कंपनी द्वारा व्यक्तियों का नाम निर्देशन

नियम 3.5.1(2) के निबंधनों के अनुसार कंपनी का स्वामित्वधारी या निदेशक बोर्ड द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने के कारण मैं सूचना देता हूं कि निम्नलिखित व्यक्ति(यों) को व्यक्ति/व्यक्तियों के नाम के सामने वर्णित स्थापन, शाखा, यूनिट का भारसाधक व्यक्ति (यों) के रूप में नामनिर्देशित किया जाता है/ किए जाते हैं और संबद्ध स्थापन/शाखा/यूनिट की बाबत खाद्य सुरक्षा या अधिनियम और नियम/विनियमों या तद्धीन जारी किए गए निदेशों के किसी उल्लंघन के लिए उत्तरदायी और दायी होंगे ।

व्यक्ति(यों) द्वारा वे सभी कदम उठाएंगे, जो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन और उनके अनुपालन में किसी अपराध के कंपनी द्वारा किए जाने को रोकने के लिए आवश्यक हों ।

शाखा वाद/कार्यालय वार नामनिर्देश ।

स्थापन/शाखा/इकाई का नाम	भारसाधक व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर
1.	1.
2.	2.
3.	3.

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के संबंध में बोर्ड के संकल्प की सत्यापित प्रति तारीख_____संलग्न है ।

स्थान_____ लिमिटेड/प्राइवेट लिमिटेड_____के लिए

तारीख_____

1. कंपनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

स्थान_____

IndiaCode

प्ररूप 10

(नियम 3. 3.1(2) का (i) का प्रतिनिर्देश देखें)

अपील का प्ररूप

खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के समक्ष

(अधिकरण का स्थान)

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के मामले में

और

न्याय निर्णायक अधिकारी (स्थान) द्वारा पारित आदेश तारीख----------के विरुद्ध अपील के मामले में

वर्ष--------की अपील सं0--------

क.ख. -- अपीलार्थी

बनाम

ग-घ --- प्रत्यर्थी

अपील अधिकरण कार्यालय के उपयोग के लिए

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

रजिस्ट्रीकरण सं0

हस्ताक्षर
(रजिस्ट्रार)

IndiaCode

अनुक्रमणिका

(नमूना अनुक्रमणिका)

क्रम॰सं॰	**प्रदर्शित**	**विशिष्टियां**	**पृष्ठ सं0**
1.		अपील का ज्ञापन	
2.	क	न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा जारी तारीख ———————— के कारण बताओ सूचना की प्रति	
3.	ख	कारण बताओ सूचना के उत्तर में अपीलार्थी द्वारा भेजे गए तारीख ———————— के उत्तर की प्रति	
4.	ग	अपीलार्थी द्वारा न्याय निर्णायक को भेजे गए तारीख ———————— के पत्र की प्रति	
5.	घ	आक्षेपित आदेश तारीख ———————— की प्रति	

अपील का ज्ञापन

1. **<u>अपीलार्थी की विशिष्टियां</u>**

(*i*) अपीलार्थी का नाम क ख

(*ii*) अपीलार्थी का पता

(*iii*) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता

(*iv*) टेलीफोन नं0/फैक्स नं0, ई-मेल का पता, यदि कोई हो

2. **<u>प्रत्यर्थी की विशिष्टियां</u>**

(*i*) प्रत्यर्थी का नाम ग घ

(*ii*) प्रत्यर्थी का पता

(*iii*) सभी सूचनाओं की तामील के लिए पता

(*iv*) टेलीफोन नं0/फैक्स नं॰, ई-मेल का पता, यदि कोई हो

3. अपील अधिकरण की अधिकारिता

अपीलार्थी घोषणा करता है कि अपील का विषय अपील अधिकरण की अधिकारिता के भीतर आता है ।

4. परिसीमा

अपीलार्थी यह और घोषणा करता है कि अपील नियम 3.3.1(2) में यथा विहित परिसीमा के भीतर है ।

5. मामले के तथ्य

यहां मामले के तथ्य और विनिर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील के आधार पर क्रमानुसार संक्षेप में दें, प्रत्येक पैरा में यथा संभव पृथक विवाद्यक, तथ्य या अन्यथा साफ-साफ अंतर्विष्ट हों ।

6. मांगा गया अनुतोष

पैरा 5 में वर्णित तथ्यों और उन आधारों को, जिन पर प्रश्नगत आदेश को चुनौती दी गई है, ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष (षों) के लिए अनुरोध करता है ।

(यहां मांगे गए अनुतोष और विधिक उपबंध, जिनका आश्रय लिया गया है, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट करें)

7. मांगा गया अंतरिम अनुतोष (यदि अनुरोध किया गया है)

अपील में विनिश्चय के लंबित रहते हुए अपीलार्थी निम्नलिखित अंतरिम अनुतोष चाहता है ।

अनुरोध किए गए अंतरिम अनुतोष और उसके लिए कारणों को यहां विनिर्दिष्ट करें)

8. वे मामले जो किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं हैं

अपीलार्थी यह उद्घोषणा करता है कि वह मामला जिसके संबंध में यह अपील फाइल की गई है किसी विधि के न्यायालय के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी या किसी अन्य अभिकरण के समक्ष लंबित नहीं है ।

9. संदत्त फीस की विशिष्टियां

(*i*) फीस की रकम ----------रु0

(*ii*) उस बैंक का नाम जिस पर मांग पत्र आहरित किया गया है ----------बैंक

(*iii*) मांगपत्र सं0 और तारीख

10. सूचकांक के ब्यौरे

आश्रय लिए गए दस्तावेजों के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करने वाला एक सूचकांक संलग्न है ।

11. संलग्नकों की सूची

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

IndiaCode

सत्यापन

मैं ———————— पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री ———————————————— अपीलार्थी होने के कारण यह सत्यापित करता हूं/करती हूं कि पैरा 1 से पैरा 11 की अंतर्वस्तु मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैंने किसी सारवान तथ्य को छिपाया नहीं है ।

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

तारीख :

[फा0सं0 पी15017/20/2009.एफएसएसएआई(पीटी)

(एल.सी. गोयल)
अपर सचिव एवं
डी.जी.(सी.जी.एच.एस.)

IndiaCode

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(Department Of Health and Family Welfare)

New Delhi, dated the 5 May, 2011

Notification

G.S.R.362(E) Whereas Central Government proposes to make draft Food Safety and Standards Rules, 2011, in exercise of the powers conferred by section 91 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), read with the sections 5,7,30,36,37,38,39,40,41,43,45,46,47,68,70,71,73,74,75,76,77,78,81,82,83 and 84 which have been notified by the Government of India *vide* SO 1855 (*E*) dated 29th July, 2010, and

Whereas these draft rules have been pubished at 1 to 68 in the Gazette of India Extraordinary Part II – Sec. 3 (*i*) dated 19th January, 2011 under the notification of Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare no G.S.R 39 (*E*) dated the 19th January, 2011 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the said Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the Gazette were made available to the public on the 20th January, 2011.

And whereas objections and suggestions received from the public within the specified period on the said draft Rules have been considered by the Central Government.

Now therefore, in exercise of the power conferred by section 91 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Rules namely:—

IndiaCode

Food Safety and Standards Rules, 2011

CHAPTER 1
GENERAL

1.1: Title and commencement

1.1.1: These rules may be called the Food Safety and Standards Rules, 2011.

1.1.2: They shall come into force after three months from the date of their publication in the official Gazette.

1.2: Definitions

1.2.1: In these rules, unless the context otherwise requires,

1. "Act" means the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act 34 of 2006) ;

2. "Adjudicating Officer" means the Adjudicating Officer appointed under sub-section (1) of section 68 of the Act.

3. "Advocate" means a person who is entitled to practice the profession of law under the Advocates Act, 1961 (25 of 1961)

4. "Appellate Tribunal" means the Food Safety Appellate Tribunal constituted under section 70 of the Act.

5. "Authorised Officer" means an officer authorized by the Food Authority referred in the sub-section (5) of section 47 of the Act.

6. "Inquiry" means the inquiry referred to in section 68.

7. "Licensing Authority" means the Designated Officer appointed under section 36 of the Act for the local area and includes any other officer so appointed for the purpose of granting license by the Commissioner of Food Safety.

8. "Notified laboratory" means any of the laboratories notified by the Food Authority under sub-sections (1) and (2) of section 43 of the Act.

9. "Presiding Officer" means a person appointed as Presiding Officer of the Appellate Tribunal under section 70 of the Act.

10. "Referral laboratory" means any of the laboratories established and/or recognized by the Food Authority by notification under sub section (2) of section 43 of the Act.

11. "Registrar" means the Registrar of the Appellate Tribunal and includes an officer of such Appellate Tribunal who is authorized by the Presiding Officer to function as Registrar

12. "Registry" means the registry of the Appellate Tribunal

13. "Rules" means the Food Safety and Standards Rules, 2011.

CHAPTER 2

ENFORCEMENT STRUCTURE AND PROCEDURES

2.1 - Qualification and duties

2.1.1: Commissioner of Food Safety:

1. Qualification: No person below the rank of "Commissioner and Secretary" to State Government shall be eligible to be appointed as the Commissioner of Food Safety.

2. Powers and Duties: Powers and duties of the Commissioner of Food Safety shall be as provided in the section 30 (2) of Food Safety and Standards Act, 2006.

2.1.2: Designated Officer

1. Qualification

(*i*) The Designated Officer shall be a whole time Officer, not below the rank of Sub-Divisional Officer or equivalent and shall possess a minimum of bachelors' degree in Science with chemistry as one of the subjects or at least one of the educational qualifications prescribed for the Food Safety Officer under these Rules.

(*ii*) He shall Undergo training as may be specified by the Food Authority, within a period of six months from the date of his appointment as Designated Officer.

(*iii*) (*a*) persons having been appointed as food Inspector having qualification prescribed under the PFA Rules, 1955 or as Local Health Authority shall be eligible for appointment as Designated Officer, subject to fulfilling such other conditions as may be prescribed for the post of Designated Officer by the State Government.

(*b*) At the time of commencement of these rules, the post of designated Officer is held by any other officer of equivalent rank as additional charge basis such other officer shall continue to hold such additional charge till such time a whole time Designated Officer is appointed or for a period of one year whichever is earlier.

2. Powers and duties:

(*i*) The powers and duties of the Designated Officer shall be as mentioned in section 36 (3) of FSS Act, 2006.

(*ii*) The Designated officer shall function under overall supervision of collector/ District Magistrate of the District.

(*iii*) The Designated Officer shall, in addition to the powers specified in Section 36 (3) of FSS Act, 2006, also ensure the refund of fee for analysis paid by the purchaser as per the provision of Section 40 (1), besides the cost of the sample

(*iv*) The Designated Officer shall ensure timely disposal of redundant samples, in the manner notified for the seized materials, by the Commissioner of Food Safety.

(*v*) Without prejudice to anything contained in the aforesaid Rules, the Designated Officer shall have all administrative powers which may include suspension, cancellation or revocation of the license of the Food Business Operator in case any threat or grave injury to public, has been noticed in the report of the Food Analyst,

Provided that while taking such administrative action the procedure described in the Act and Regulations shall be followed.

2.1.3: Food Safety Officer

1. **Qualification:** Food Safety Officer shall be a whole time officer and shall, on the date on which he is so appointed possesses the following:

(*i*) a degree in Food Technology or Dairy Technology or Biotechnology or Oil Technology or Agricultural Science or Veterinary Sciences or Bio-Chemistry or Microbiology or Masters Degree in Chemistry or degree in medicine from a recognized University, or

(*ii*) any other equivalent/recognized qualification notified by the Central Government, and

(*iii*) has successfully completed training as specified by the Food Authority in a recognized institute or Institution approved for the purpose.

Provided that no person who has any financial interest in the manufacture, import or sale of any article of food shall be appointed to be a Food Safety Officer under this rule

2. On the date of commencement of these Rules, a person who has already been appointed as a Food Inspector under the provisions of Prevention of Food Adulteration Act, 1954, may perform the duties of the Food Safety Officer if notified by the state/Central government if the officer fulfils such other conditions as may be prescribed for the post of Food Safety Officer by the State Government.

3. State Government may, in cases where a Medical Officer of health administration of local area has been performing the function of food Inspector under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954, assign the powers and duties of Food Safety Officer to such Medical Officer in charge of health administration of that area.

Provided further that the persons appointed under clauses 2 and 3 above, shall undergo a specialized training laid down by the Food Authority within a period of two years from the commencement of these rules.

4. **Powers and Duties:**

(*i*) Without prejudice to the powers conferred on him under section 38 of the Act, where the Food Safety Officer is of the opinion or he has reason(s) to be recorded in writing that in the given situation it is not possible to comply with the provision of section 38 (1) (*c*) or the proviso to section 38(1) for reasons like non availability of the Food Business Operator, the Food Safety Officer may seize the adulterant or food which is unsafe or sub-standard or mis-branded or containing extraneous matter, may seal the premises for investigation after taking a sample of such adulterant or food for analysis.

(*ii*) Where the Food Safety Officer is of the opinion or he has reason(s) to believe that any person engaged in selling, handling or manufacturing any article of food is suffering from or harbouring the germs of any infectious disease, he may cause such person to be examined by a qualified medical professional duly authorized by the Designated Officer.

Provided that where such person is a female, she shall be examined by a qualified lady medical professional duly authorized by the Designated Officer.

If on such examination the qualified medical professional certifies that such person is suffering from any such disease, the Food Safety Officer may by order in writing under intimation to the Designated Officer direct such person not to take part in selling or manufacturing any article of food.

(*iii*) Furthermore, it shall be the duty of the Food Safety Officer

(*a*) To inspect, as frequently as may be prescribed by the Designated Officer, all food establishments licensed for manufacturing, handling, packing or selling of an article of food within the area assigned to him;

(*b*) To satisfy himself that the conditions of licenses are being complied with by each of the Food Business Operators carrying on business within the area assigned to him and report to the Designated Officer;

(*c*) To procure and send for analysis if necessary, samples of any article of food which he has reason to believe or on the basis of information received including from a purchaser are being manufactured, stocked or sold or exhibited for sale in contravention of the provisions of the Act, or rules and regulations framed thereunder

(*d*) To draw samples for purposes of surveillance, survey and research, which shall not be used for prosecution

(*e*) To investigate any complaint which may be made to him in writing in respect of any contravention of the provisions of the Act, or rules framed thereunder;

(*f*) To maintain a data base of all Food Business within the area assigned to him;

(*g*) To recommend Desidnated Officer to issue of improvement notices to the Food Business Operator whenever necessary;

(*h*) To maintain a record of all inspections made and action taken by him in the performance of his duties, including the taking of samples and seizure of stocks, and to submit copies of such records to the Designated Officer as directed in this regard;

(*i*) To make such inquiries and inspections as may be necessary to detect the manufacture, storage or sale of articles of food in contravention of the Act or rules framed thereunder;

(*j*) To stop and inspect any vehicle suspected to contain any unsafe food or food which does not comply with the provisions of this Act and rules, intended for sale or delivery for human consumption;

(*k*) To recommend to the Designated Officer giving specific grounds, suitable action in regard to licenses issued to any Food Business Operator, if on inspection the Food Safety Officer finds that the Food Business Operator had violated the conditions for grant of license;

(*l*) To carry out food safety surveillance to identify and address the safety hazards

(*m*) To respond to incidents of food poisoning in his area and to send report to and assist the Designated Officer to enable him to initiate corrective action;

(*n*) To facilitate preparation of Food safety plans for Panchayat and Municipalities in accordance with the parameters and guidelines given in **schedule IV of Chapter 3 of Regulations**.

(*o*) To detain imported packages which are suspected to contain articles of food, the import or sale of which is prohibited;

(*p*) To coordinate with the Food Business Operators within his area of operation and facilitate the introduction of food safety systems by the Food Business Operators.

(*q*) To perform such other duties, as may be entrusted to him by the Designated Officer or Food Safety Commissioner having jurisdiction in the local area concerned.

2.1.4: Food Analyst

1. **Qualification:** A person shall not be qualified for appointment as Food Analyst under the Act unless she/he:-

(i) Holds a Master's degree in Chemistry or Biochemistry or microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or holds Bachelor of Technology in Dairy/Oil or holds degree in Veterinary Sciences from a university established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central government for such purposes and has not less than three years experience in the analysis of food; and

(ii) Has been declared qualified for appointment as a Food Analyst by a board appointed and notified by the Authority

Notwithstanding anything contained above,

(*a*) any person who has been declared qualified for appointment as Public Analyst by the board constituted under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 shall also be eligible for holding the post of Food Analyst.

(*b*) any person who is a Public Analyst under the provisions of Prevention of Food Adulteration Act, 1954 on the date of commencement of these Rules, may hold office of the Food Analyst subject to the terms and conditions of service applicable to such person.

A person appointed as Food Analyst shall undergo all specialized training programmes specified by the Food Authority periodically.

2. **Duties:**

(i) The Food Analyst shall analyse or cause to be analysed the article of food sent to him for analysis. In analyzing the article of food, the Food Analyst shall follow such instructions and shall adhere to such procedure as adopted by the Food Authority from time to time. The report of analysis shall be signed by the Food Analyst

(ii) After completion of analysis of article of food, the Food Analyst shall send his report to the Designated Officer, the Purchaser of article of food, as the case may be, in **Form VII A.**

2.2 - Procedure of taking extracts of documents and matters connected therewith

2.2.1: Manner of taking extracts

1. Where the Food Safety Officer has seized any books of account and other relevant relevant documents in exercise of powers conferred upon him under sub-section (6) of section 38 of the Act, he shall return the same to the person from whom they were seized within a period not exceeding thirty days from the date of such seizure

Provided that before returning the books of account and other documents, the Food Safety Officer shall be entitled for copies thereof or extracts there from, as the case may be.

2. On receipt of such communication from the Food Safety Officer, the person from whom the books of account and documents were seized shall provide the copies or extracts as the case may be, duly authenticated by the Food Business Operator.

3. The extracts shall be taken by the Food Safety Officer or by any person authorized by him.

4. The person making the extracts shall not in any manner cause dislocation, mutilation, tampering or damage to the records in the course of making extracts.

5. The person making extracts shall not make any marking on any record or paper.

2.2.2 Affidavit

1. The extracts or the copies referred to in **Rule 2.2.1** above, shall be initialed on each page of such extracts or copies by the person from whom the books of account and other documents were seized and such extracts or copies so authenticated shall be provided to the Food Safety Officer, accompanied by an Affidavit in **Form I** of the person from whom the books of account and other documents were seized, certifying the authenticity of such extracts or copies.

2.3 - Seizure of articles of food by the Food Safety Officer and matters connected therewith

2.3.1.: Form of receipt for article of food seized by a Food Safety officer– For every article of food seized under clause (*b*) of sub-section 1 of Section 38 of the Act, a receipt in Form II shall be given by the Food Safety Officer to the person from whom the article of food was seized.

2.3.2 Form of order/bond not to dispose of the stock: Where the Food Safety Officer keeps any article of food in the safe custody of the Food Business Operator under clause (*c*) of sub-section (1) of Section 38 of the Act.

1. he shall, after affixing the seal, on the article of food, make an order to the Food Business Operator in **Form III** and the Food Business Operator shall comply with such an order, and

2. he may require the Food Business Operator to execute a bond in **Form IV.**

2.4: Sampling and Analysis

2.4.1: Procedure for taking sample and manner of sending it for analysis –

The Food Safety Officer while taking sample of food for analysis under clause A of Sub Section 1 of Section 38 and Section 47 (except 47 (5)) of the Act, shall also follow the procedure specified hereunder;-

1. shall call one or more witnesses at the time of lifting of the samples

2. Obtain the signatures from the witnesses in all the forms and documents prepared

3. Serve the notice in **Form V A** to the business operator then and there

4. in case the food business operator discloses that the product has been obtained from the manufacturer, the distributor or supplier, a notice shall also be given to such manufacturer, distributor or supplier,

5. in case where the sample is drawn from an open container, the person drawing the sample shall also draw a sample from a container in original condition of the same article bearing the same declaration, if such container is available, and intimate the same to the Food Analyst.

6. Where a Food Safety Officer or the purchaser takes a sample of an article of food for analysis, he shall pay, the cost of such sample, to the person from whom the sample is taken, calculated at the rate at which the article is sold to the public.

7. Sample of article of Food for the purpose of analysis shall be taken in clean dry bottles or jars or in other suitable containers which shall be closed to prevent leakage, evaporation or to avoid entrance of moisture in case of dry substance and shall be carefully sealed.

Provided, if a sealed package marketed by the manufacturer/Food Business Operator is taken as sample, further sealing in separate containers will not be required.

8. All bottles or jars or other containers containing the samples for analysis shall be properly labeled and the parcel shall be properly addressed. The label on any sample of food sent for analysis shall bear

I. Code number of the sample
II. Name of the sender with his official designation
III. Date and place of collection
IV. Nature of articles being sent for analysis
V. Nature and quantity of preservative, if any, added to the sample.

9. The samples will be packed and sealed in the manner prescribed hereunder :

(*i*) Sample shall be divided into four parts or take four already sealed packages and mark and seal or fasten up each part in such a manner as its nature permits and take the signature or thumb impression of the person from whom the sample has been taken on the label mentioned in 2.4.1.8

(*ii*) The stopper/cap shall first be securely fastened so as to prevent leakage of the contents in transit

(*iii*) The bottle, jar or other container shall then be completely wrapped in fairly strong thick paper. The ends of the paper shall be neatly folded in and affixed by means of gum or other adhesive.

(*iv*) A paper slip of the size that goes round completely from the bottom to top of the container, bearing the signature of the Designated Officer or any officer authorized by Food Safety commissioner and code number of the sample, shall be pasted on the wrapper. The signature or thumb impression of the person from whom the sample has been taken, shall be affixed in such a manner that the paper slip and the wrapper both carry a part of this signature or the thumb impression

Provided that in case the person from whom the sample is taken refuses to affix his signature or thumb impression, the signature or thumb impression of one or more witnesses shall be taken in the same manner

Provided further that in case the paper slip containing the signature of the Designated Officer is of such a size that it does not cover completely from the bottom to the top of the container, the Food Safety Officer shall affix additional sheet/s of paper to the slip containing the signature of the Designated Officer so as to cover the container completely and the Food Safety Officer shall affix his signature on each of the joints for the purpose of identification.

Provided also further that where the purchaser or an Authorized Officer draws the sample no such paper slip shall be required to be affixed

(*v*) The paper cover shall be further secured by means of strong twine or thread both above and across the bottle, jar or other container and the twine or thread shall then be fastened on the paper cover by means of sealing wax on which there shall be distinct and clear impression of the seal of the sender, of which one shall be at the top of the packet, one at the bottom and the other two on the body of the packet. The knots of the twine or thread shall be covered by means of sealing wax bearing the impression of the seal of the sender.

10. The containers of the samples shall be dispatched forthwith in the following manner

(*i*) the sealed container of one part of the sample for analysis along with memorandum in **Form VI** shall be sent in a sealed packet to the Food Analyst under appropriate condition to retain the integrity of the sample.

(*ii*) the sealed container of the second and third parts of the sample and two copies of memorandum in **Form VI** shall be sent to the Designated Officer by any suitable means and

(*iii*) the sealed container of the remaining fourth part of the sample and a copy of memorandum in **Form VI** shall be sent to an accredited laboratory along with fee prescribed by the Authority, if so requested by the Food Business Operator, under intimation to the Designated Officer

Provided that fourth part also shall be deposited with Designated Officer if Food business Operator does not request to send the sample to an accredited lab.

(*iv*) for lifting a sample for testing microbiological parameters, the method of lifting sample, type of container, temperature to be maintained, method of transportation and any other condition to maintain the integrity of the sample shall be notified by the Food Authority from time to time.

11. The Food Safety Officer shall send to the Food Analyst to whom the sealed container of first part of the sample was sent, a copy of the memorandum and specimen impression of the seal used to seal the packet and the same shall be sent forthwith.

12. The Food Safety Officer or the Authorized Officer, while taking sample for the purpose of analysis under the provisions of the Act except in the case where the sample is meant for microbiological testing/ analysis, may add to the sample, a preservative as may be prescribed from time to time in the regulations for the purpose of maintaining it in a condition suitable for analysis.

13. Whenever any preservative is added to a sample, the nature and quantity of the preservative added shall be clearly noted on the label to be affixed to the container.

14. The quantity of sample of food to be sent to the Food Analyst / Referral lab for analysis shall be as specified in regulations by the Food Authority:

Explanation: Foods sold in packaged condition (sealed container or package) shall be sent for analysis in its original condition without opening the package as far as practicable, to constitute approximate quantity along with original label. In case of bulk packages, wherever preservatives are to be added as per the requirement under these rules, the sample shall be taken after opening sealed container or package in the presence of the Food Business Operator or in case of his refusal, in the presence of one or more witnesses and the contents of the original label shall also be sent along with the sample for analysis. However, such samples shall not be used for microbiological analysis

15. Where food is sold or stocked for sale or for distribution in sealed containers having identical label declaration, the contents of one or more of such containers as may be required to satisfy the quantity prescribed, shall be treated to be a part of the sample.

16. The quantity of sample of food packaging material to be sent to the Food Analyst /Director of referral lab for analysis shall be as specified below:-

Name of food packaging material	Approximate quantity/surface area to be supplied
1. Food packaging material when sample is taken from manufacturer.	8 x 1000 x 9 sq.cm. surface area."
2. When sample is taken from small consumer packages.	Complete packaging material used for one container.

17. Notwithstanding anything contained in **Rule 2.4.1 (15)** the quantity of sample sent for analysis shall be considered as sufficient unless the Food Analyst reports to the contrary.

For the purpose of the **Rule 2.4.1,** if the sample is taken for Surveillance purposes, the procedure illustrated under this rule shall not be followed

2.4.2. Analysis of food samples by Food Analyst

1. On receipt of the package containing a sample of food for analysis, the Food Analyst or an officer authorized by him shall compare the seals on the container and the outer cover with specimen impression of seal received separately and shall note the condition of the seal thereon.

2. Food laboratories including mobile food laboratories wherever required, may be established or notified by the Central/State Government for the purpose of testing food samples received from the Food Safety Officer/ purchaser.

3. If the sample container received by the Food Analyst is found to be in broken condition or unfit for analysis, he shall, within a period of seven days from the date of receipt of such sample, inform the Designated Officer about the same and request him to send the second part of the sample for analysis.

4. On receipt of requisition from the Food Analyst pursuant to **Rule 2.4.2 (3)** the Designated Officer, shall by the succeeding working day, dispatch to the Food Analyst for analysis one part of the samples sent to him by the Food Safety Officer.

5. On receipt of the sample, the Food Analyst shall analyse or cause to be analysed the sample and send the analysis report mentioning the method of analysis. The analysis report shall be as per **Form VII A** and four copies of the same shall be sent to the Designated Officer under whose jurisdiction the Food Safety Officer functions or the purchaser of article of food. The analysis report shall be signed by the Food Analyst and such report shall be sent within fourteen days of the receipt of the sample by the Food Analyst.

6. The Designated Officer shall keep two copies of analysis report for further action, one copy shall be sent to Food Safety Officer for record and one copy to Food business Operator from whom the sample was taken**.**

Provided that in case the sample cannot be analysed within fourteen days of its receipt, the Food Analyst shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specifying the time to be taken for analysis.

7. The manuals of the method of analysis, as amended/adopted by the Authority from time to time including AOAC/ ISO/Pearson's/Jacob/IUPAC/Food Chemicals CODEX/BIS/Woodmen/Winton-Winton/Joslyn, shall be used for analyzing the samples of food articles. However, in case the method for analyzing any parameter is not available in these manuals, a validated method of analysis prescribed by internationally recognized/analytical/regulatory agencies, shall be adopted

2.4.3: Action by Designated Officer on the report of Food Analyst.

If, after considering the report, the Designated Officer is of the opinion for reason(s) to be recorded in writing, that the report delivered by the Food Analyst under **Rule 2.4.2 (5)** is erroneous, he shall forward one of the parts of the sample kept by him to referral laboratory, for analysis and if the analysis report of such referral laboratory is to the effect that the article of food is unsafe or sub-standard or mis-branded or containing extraneous matter, the provisions of **Rule 3.1** shall, so far as may be, apply.

2.4.4: Purchasers may have the food analysed

1. A Purchaser of food article may, if he so desires, have the article analysed by the Food Analyst according to the procedure notified by the Food Authority.

2. If the Purchaser desires to have the food article purchased by him to be analysed by the Food Analyst, he shall give a notice in writing, then and there, in **Form V B** of his intention to have it so analysed to the person from whom he has purchased the food article.

3. The provisions of **Rule 2.4.1** shall *mutatis mutandis* apply except 2.4.1 (9) (i, iv) , 10 (ii, iii), 11, and 16 and with the modification that the samples shall be divided into two parts or two already sealed packages will be taken each of which will be marked and sealed or fastened up in such a manner as its nature permits and the signature or thumb impression of the person from whom the sample has been taken or a witness will be affixed on the label mentioned in 2.4.1 (8). The purchaser will forward one part of the sample to the Food Analyst and the other to the Designated Officer which can be used in the event of appeal by the Food Business Operator against the finding of the report of the Food Analyst.

4. The Purchaser shall pay the prescribed fee to the Food Analyst for carrying out the analysis.

5. The Food Analyst shall send to the Purchaser his report on analysis of the article of food and if the finding of the report is to the effect that the article of food is adulterated/misbranded/contaminated or does not conform to the standards prescribed under the Act or the Regulations, the Food Analyst shall also send his report in triplicate, to the Designated Officer of the area in which the article of food was purchased, besides sending a copy of the Report to the Purchaser.

6. The report of the Food Analyst shall be sent within 14 days of the receipt of the article of food for analysis and such report shall be in **Form VII A.**

2.4.5: Food business operator's right to have the food analysed

1. In case the Food business operator from whom the sample has been taken or the person whose name and address and other particulars have been disclosed under **Rule 2.5** of these rules, desires to have the fourth part of the sample analysed, he shall request the Food Safety Officer in writing to send the sample to any NABL accredited/ FSSAI notified laboratory for analysis under intimation to the Designated Officer.

2. The Food Safety Officer shall send the sample to a NABL accredited/FSSAI notified laboratory, under intimation to the Designated Officer forthwith, in the manner prescribed under **Rule 2.4.1**.

Provided that the cost of testing by the accredited lab will be borne by the Food Business Operator or the person identified under **Rule 2.5.** The payment shall be made by the Food Business Operator through Bank draft or online transfer or treasury chalan or any other suitable means as specified by the Designated Officer.

Provided further that the Accredited lab where the Food Safety Officer will send the sample, should be within the state or the neighboring state wherever available

3. The Food Analyst in-charge of the accredited laboratory shall analyse the sample within fourteen days from the date of the receipt of the sample

Provided that in case the sample cannot be analysed within fourteen days from the date of its receipt, the Food Analyst/in-charge of the accredited laboratory, shall inform the Designated Officer and the Commissioner of Food Safety giving reasons and specify the time to be taken for analysis.

4. The Food Analyst shall send four copies of the analysis report to the Designated Officer, in the proforma given in **Form VII A,** indicating the method of analysis.

2.4.6: Appeal to the Designated Officer

1. When an appeal as provided under subsection 4 of section 46 is preferred to the Designated Officer by the Food Business Operator against the report of the Food Analyst, the Designated Officer, shall if he so decides, within thirty days from the receipt of such appeal after considering the material placed before him and after giving an opportunity to Food Business Operator to be heard shall forward one part of the sample to the referral lab. Such appeal shall be in **Form VIII** which shall be filed within 30 days from the date of the receipt of the copy of the analysis report from the Designated Officer. Report of the referral laboratory shall be final in this regard.

2. The Designated Officer shall forward one part of the the sample under appropriate condition as specified for the product including transport, to retain the integrity of the sample. The cost of analysis of the sample shall be borne by the Food Business Operator. The remaining samples will also be safely kept under appropriate conditions to prevent deterioration.

2.5: Nomination by the company in the prescribed proforma

2.5.1: The company which is having different establishments or branches, units, any establishment or branch shall inform the Licensing authority in Form IX, the particulars relating to the concerned head or the person in-charge of such establishment, branch, unit, with due certification that the concerned person has been so nominated for the purposes of the section 66 of the Act and regulations made under section 31 of the Act.

2.5.2: The Company shall also intimate to the Licensing Authority, as and when any change occurs in the nomination given in Rule 2.5.1 above forthwith, in Form IX

CHAPTER 3

ADJUDICATION AND APPEAL TO TRIBUNAL

3.1: Adjudication proceedings

3.1.1: Holding of inquiry

1. On receipt of the copy of the report of Food Analyst in **Form VII A** from the Designated Officer, the person from whom the sample was taken or the persons, whose names and addresses and other particulars have been disclosed under **Rule 2.5** of these rules or wholesaler or manufacturer has preferred an appeal against the findings of the report of the Food Analyst before the Designated Officer in terms of sub-section (4) of section 46 of the Act and the same has been dismissed, or the referral laboratory has, pursuant to the reference made by the Designated Officer in terms of sub-section (4) of section 46 of the Act confirmed the findings of the Food Analyst in his report, or if no appeal has been preferred, the Designated Officer shall examine the case on the basis of the sections under which the person has been charged as to whether the contravention is punishable with imprisonment or the same is punishable with fine only under the Act. However, if no contravention is established and the sample conforms to the requirement of FSS regulations, the same will be communicated to the Food Business Operator immediately.

2. If the Designated Officer decides that such contravention is not punishable with imprisonment but only with fine under the provisions of the Act, he shall cause and authorize the Food Safety Officer to file with the Adjudicating Officer an application for adjudication of the offence alleged to have been committed by the person

from whom the food sample has been taken or the person whose name and address and other particulars have been disclosed under **Rule 2.5** of these rules and/or the seller or manufacturer of the food item in respect of which the report has been received.

3. On receipt of the communication from the Designated Officer authorizing the filing of the adjudication application, the Food Safety Officer shall file the application for adjudication with the Adjudicating Officer for adjudication of the offence/contravention alleged to have been committed.

4. On receipt of the application for adjudication from the Food Safety Officer, the Adjudicating Officer shall commence the inquiry proceedings.

5. The Adjudicating Officer shall have power to hold an inquiry for purpose of adjudicating offences punishable under sections 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 64, 65, 66 and 67 of the Act.

6. For holding an inquiry for the purpose of adjudication under section 68 of the Act as to whether any person(s) has/have committed contravention of any of the provisions of the Act referred to in **Rule 3.1.1.(5)** herein or the rules or regulations in respect of which the offence is alleged to have been committed, the Adjudicating Officer shall, in the first instance, issue a notice to such person or persons giving him or them an opportunity to make a representation in the matter within such period as may be specified in the notice (not being less than 30 days from the date of service thereof).

7. Every notice under **Rule 3.1.1.(6)** to any such person shall indicate the nature of offence alleged to have been committed by him or them, the section(s) of the Act alleged to have been contravened, and the date of hearing of the matter. A copy of the report of the Food Analyst shall also be annexed to such notice.

8. On the date fixed for hearing, the Adjudicating Officer shall explain to the person or persons proceeded against or to his authorized representative, the offence alleged to have been committed by such person, indicating the provision of the Act, rules or regulations in respect of which the contravention is alleged to have taken place.

9. The Adjudicating Officer shall then give an opportunity to such person or persons to produce such documents or evidence as he may consider relevant to the inquiry and if necessary the hearing may be adjourned to a future date

Provided that the notice referred to in **Rule 3.1.1. (6)** may, at the request of the person concerned, be waived.

Provided further that the Adjudicating Officer shall pass the final order within 90 days from the date of first hearing mentioned in **Rule 3.1.1 (8)** above**.**

10. The State Government may appoint a presenting officer from amongst the panel of advocates of the court of local jurisdiction, in an inquiry under this rule.

11. While holding an inquiry under this rule, the Adjudicating Officer shall have the power to summon and enforce the attendance of any person acquainted with the facts and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which, in the opinion of the Adjudicating Officer may be useful for or relevant to, the subject matter of the inquiry.

12. If any person fails neglects or refuses to appear as required by **Rule 3.1.1 (6&7)** before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer may proceed with the inquiry in the absence of such person, after recording the reasons for doing so.

3.1.2: Order of the Adjudicating Officer and matters relating thereto

1. If, upon consideration of the evidence produced before the Adjudicating Officer, the Adjudicating Officer is satisfied that the person or persons or any of them against whom the inquiry has been conducted, has become liable to penalty and/or any suitable administrative action under any of the sections referred to in **Rule 3.1.1. (5)** he may, by order in writing, impose such penalty as he thinks fit, in accordance with the provisions of the relevant section or sections of the Act.

2. If however, the Adjudicating Officer is satisfied that the person or persons or any of them against whom the inquiry has been conducted for the contravention of provisions of the Act, has or have not been proved beyond doubt, the Adjudicating Officer shall dismiss the case.

3. Every order made under **Rule 3.1.2. (1)** shall specify the provisions of the Act or the rules or the regulations in respect of which the offence has taken place and shall contain brief reasons for such decision. While imposing monetary penalty, the Adjudicating Officer shall have due regard to the provisions of section 49 of the Act. Such penalty will be remitted in the form of a crossed demand draft drawn on a nationalized bank in favour of "Adjudicating Officer, …….District" payable at the station where the Adjudicating officer is located

4. Every such order shall be dated and signed by the Adjudicating Officer.

5. The Adjudicating Officer shall send a copy of the order made under **Rule 3.1.2** to the person or persons against whom the inquiry was conducted and the Food Safety Officer who has filed the application for adjudication.

6. A notice or an order issued under these rules shall be served on the person or the persons against whom the adjudication proceedings were held or inquiry has been conducted, in any of the following manner:

(*i*) by delivering or tendering it to that person or his duly authorized representative or

(*ii*) by sending it to the person by registered post with acknowledgement due to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on or last carried on, business or personally works or last worked for gain or

(*iii*) if it cannot be served in the manner specified under **Rule 3.1.2 (6)** (*i*) **or** (*ii*) by affixing it on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which that person resides or is known to have last resided or carried on business or personally works or has worked for gain and written report thereof should be witnessed by two persons.

3.2: Appellate Tribunal

3.2.1 Qualification and terms of office of Presiding Officer of an Appellate Tribunal

1. No person shall be qualified for appointment as a Presiding Officer of an Appellate Tribunal unless he is or has been a District Judge and has not attained the age of 65 years on the date of appointment.

2. The Presiding Officer shall be selected by the State Government in which the Appellate Tribunal is located. The selection panel shall consist of three persons, one being a serving Judge of the High Court in which the Appellate Tribunal is located, the Law Secretary of the State Government and the Secretary of the concerned department of the State Government.

3. The panel's recommendation shall be decided by the majority of the members constituting the panel. The panel shall send its recommendation to the State Government, which will then take such steps as may be necessary to notify the appointment of the Presiding Officer. If there are more than one candidate which the panel has recommended for appointment, the panel shall rank the candidates in the order of their merit.

3.2.2: Terms and conditions of service of Presiding Officer

1. **Term of office:** The Presiding Officer of the Appellate Tribunal shall hold office for a term of five years from the date on which he assumes office or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier.

Filling of vacancy: If for reason other than temporary absence, any vacancy occurs in the office of the Presiding Officer of the Appellate Tribunal, then the Central Government or the State Government, as the case may be, shall appoint another person in accordance with the provisions of the Act to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the Appellate Tribunal from the stage at which the vacancy occurred.

2. **Salary and allowances of Presiding Officer:** The Presiding Officer of Appellate Tribunal shall be paid such salary as admissible to a serving District Judge of the State in which the Appellate Tribunal is located.

Provided that if the Presiding Officer is in receipt of any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to Contributory Provided Fund, etc. the pay of such Presiding Officer shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provided Fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

(*i*) **Travelling Allowance:** The Presiding Officer while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Appellate Tribunal or on the expiry of his term with the Appellate Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to traveling allowance, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scale and at the same rates as are applicable to a District Judge of the State in which the Appellate Tribunal is located.

(*ii*) **Leave Travel Concession:** The Presiding Officer shall be entitled to Leave Travel Concession at the same rates and at the same scale as are applicable to a District Judge of the State in which the Appellate Tribunal is located.

(*iii*) **Conveyance:** The Presiding Officer shall be entitled to a staff car as applicable to a District Judge.

(*iv*) **Facilities of Medical Treatment:** The Presiding Officer of the Appellate Tribunal shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Service Rules as are applicable to a District Judge in the state in which the Appellate Tribunal is located.

3. **Resignation and removal:** The Presiding Officer of the Appellate Tribunal may, by a notice in writing under his hand addressed to the Central Government or the State Government, as the case may be, which has appointed him, resign from his office. The Central Government or the State Government, as the case may be, remove from office, the Presiding Officer of the Appellate Tribunal, who

(*i*) has been adjudged as insolvent

(*ii*) has been convicted of an offence which in the opinion of the Central Government or the State Government, as the case may be, involves moral turpitude

(*iii*) has become physically or mentally incapable of acting as the Presiding Officer

(*iv*) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Presiding Officer

(*v*) has so misbehaved or abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest.

Provided however that the Presiding Officer shall not be so removed from his office for reasons mentioned in iv and v except by an order of the Central Government or the State Government, as the case may be, after an inquiry made by a serving or retired Judge of a High Court in which the Presiding Officer has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of the charges and the person conducting the enquiry files a report that the Presiding Officer ought to be removed.

Whereas in respect of i, ii, and iii the decision of the Government shall be based on convincing evidence or documentary proof on the basis of a speaking order**.**

4. Residuary powers and power to relax rules

(*i*) **Residuary Powers:** Matters relating to the conditions of service of the Presiding Officer with respect to which no express provision is made in these rules, shall be referred, in each case to the Central Government or the State Government as the case may be for its decision and the decision of the Central Government or the State Government thereon shall be binding on the Presiding Officer.

(*ii*) **Power to relax:** The Central Government or the State Government as the case may be, shall have the power to relax the provision of any of these rules relating to Presiding Officer.

3.3: Procedure for Appeal to Appellate Tribunal and Connected matters therewith

3.3.1 Appeal to Appellate tribunal

1. **Limitation for filing appeal:** Every appeal under section 70 of the Act, arising out of a decision of the Adjudicating Officer appointed under section 68 of the Act, shall be filed within a period of 30 days from the date on which the copy of the order against which the appeal is filed, is received by the appellant.

Provided however that the Appellate Tribunal may allow a maximum of another 30 days to entertain an appeal if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within first 30 days.

2. **Form and procedure of appeal**

(*i*) A memorandum of appeal shall be presented in **Form X** by any aggrieved person in the registry of the Appellate Tribunal or shall be sent by registered post addressed to the Registrar.

(*ii*) A memorandum of appeal sent by post shall be deemed to have been presented in the registry on the day it is received in the registry.

3. **Contents of Memorandum of Appeal**

(*i*) Every Memorandum of Appeal filed under **Rule 3.3.1 (2)** shall set forth concisely under distinct heads, the grounds of such appeal and such grounds shall be numbered consecutively.

(*ii*) It shall not be necessary to present separate memorandum of appeal to seek interim order or direction, if the same is prayed for in the Memorandum of Appeal.

4. **Manner of presentation of appeal or application or petition**

(*i*) Every appeal or petition or application presented to the Appellate Tribunal shall be in English or the local language of the state and shall be fairly and legibly type written or printed, in double spacing on one side of standard petition paper, duly paginated, indexed and stitched together in paper book form.

(*ii*) Appeal or petition or application shall be divided into paragraphs and shall be numbered consecutively.

5. Initialing alteration

Every interlineations erasing or correction or deletion in any appeal or petition or application filed before the Appellate Tribunal shall be initialed by the party or his authorized agent in writing or the party's advocate presenting the same.

6. Presentation of appeal, petition or application

(*i*) Every appeal, petition or application shall be presented in triplicate by the appellant or the petitioner or the applicant, as the case may be, in person or by his duly authorized agent in writing or by an advocate duly appointed in this behalf and shall be accompanied, wherever applicable, with the stipulated fee.

(*ii*) Every appeal shall be accompanied by the certified copy of the impugned order.

7. Scrutiny of memorandum of appeal

(*i*) The Registrar shall endorse on every appeal the date on which it is presented under **Rule 3.3.1** or deemed to have been presented under that rule and shall sign endorsement.

(*ii*) If on scrutiny, the appeal is found to be in order, it shall be duly registered and given a serial number.

(*iii*) If on scrutiny, the appeal or petition or application is found to be defective, the same shall, after notice to the party, be returned for compliance and if within 21 days of receipt of such notice or within such extended time as may be granted by the Registrar, the defect is not rectified, the Registrar, may, for reasons to be recorded in writing, decline to register the appeal or petition or application.

8. Ex-parte amendments

(*i*) In every appeal or petition or application, arithmetical, grammatical, clerical and such other errors may be rectified on the orders of the Registrar under notice to the parties.

9. Service of appeal on the respondent

A copy of the Memorandum of Appeal and the paper book shall be served by the Registrar on the Respondent as soon as they are registered in the registry, by hand delivery or by Registered post or speed post.

10. Calling for records

On the admission of the appeal or the application or petition, the Registrar shall, if so directed by the Appellate Tribunal, call for the records relating to the proceedings from the respective Adjudicating Officer and re-transmit the same at the conclusion of the proceedings or thereafter.

11. Reply to the appeal by the Respondent

(*i*) Respondent may, within 30 days of service of notice of appeal file with the registry three complete sets containing reply to the appeal along with the documents in a paper book form.

(*ii*) A copy of every reply and a copy of every document/material annexed to the reply, relied on by the Respondent, shall be served on the appellant by the respondent.

12. Fee

(*i*) Every Memorandum of appeal shall be accompanied with a fee provided in sub-rule (*ii*) and such fee shall be remitted in the form of crossed demand draft drawn on a nationalized bank in favour of "Registrar, Food Safety Appellate Tribunal" payable at the station where the Appellate Tribunal is located.

(*ii*) The amount of fee payable in respect of appeal against adjudication orders passed under section 68 of the Act shall be as follows:

Sl No.	Amount of penalty imposed	Amount of fee payable
1.	Less than Rupees10,000/-	Rs. 500/-
2.	Rupees Ten thousand or more but less than Rupees One lakh	Rs. 1,500/-
3.	Rupees One lakh or more Rs.1500/- plus	Rupees 500/- for every additional one lakh of penalty or fraction thereof subject to a maximum of Rs.5,000/-

3.3.2 General matters relating to Appellate Tribunal

1. Sitting hours of the Appellate Tribunal

The sitting hours of the Appellate Tribunal shall ordinarily be from 11:00 a.m. to 1:30 p.m. and from 2:30 p.m. to 5:00 p.m., subject to any order issued by the Presiding Officer.

Working hours of the Appellate Tribunal

(*i*) The office of the Appellate Tribunal shall remain open on all working days on which the State Government Offices remain open and the working hours of the office of the Appellate Tribunal shall be as applicable to working hours of the State Government in which the Appellate Tribunal is located.

(*ii*) The filing counter of the Registry shall remain open on all working days from 11:00 a.m. to 4:30 p.m.

2. **Language of the Appellate Tribunal**

(*i*) The proceedings of the Appellate shall be conducted in English or the local language of the state.

(*ii*) No document filed in the proceedings before the Appellate Tribunal in any language other than English, shall be accepted by the Appellate Tribunal unless the same is accompanied by a true copy of translation thereof in English.

3. Official seal of the Appellate Tribunal

(*i*) The official seal of the Appellate Tribunal shall be such, as the Presiding Officer may from time to time specify.

(*ii*) The official seal of the Appellate Tribunal shall be kept in the custody of the Registrar.

(*iii*) Subject to any general or special direction given by the Presiding Officer, the official seal of the Appellate Tribunal shall not be affixed to any order, summons or other process, save under the authority in writing from the Registrar.

(*iv*) The official seal of the Appellate Tribunal shall not be affixed to any certified copy issued by the Appellate Tribunal, save under the authority in writing of the Registrar.

4. Format of direction or rule

Every direction, summons, warrant or other mandatory process shall be issued in the name of the Presiding Officer and shall be signed by the Registrar or any other officer specifically authorized in that behalf by the Presiding Officer, with the day, month and year of signing and shall be sealed with the seal of the Appellate Tribunal.

5. Carry forward of cause list and adjournment of cases on account of non-sitting of the Appellate Tribunal

If by reason of declaration of holiday or for any other unforeseen reason, the Appellate Tribunal does not function for the day, the Daily Cause List for that day shall, unless otherwise directed, be treated as the Daily Cause List for the next working day, in addition to the cases already posted for that day.

6. Record of Proceedings

Case Diaries, in each appeal, shall be kept by the clerk-in charge in such form as may be prescribed by the Presiding Officer and they shall be written legibly. The diary in the main file shall contain a concise history of the appeal or petition or application, and the substance of the order(s) passed thereon.

7. Order sheet

(*i*) Order sheet shall be maintained in every proceeding and shall contain all orders passed by the Appellate Tribunal from time to time.

(*ii*) Order sheet shall also contain the reference number of the appeal or petition or application, date of order and all incidental details including short cause title thereof .

8. Calling of cases in the Appellate Tribunal

Subject to any direction that may be given by the Presiding Officer, the clerk-in-charge shall call the cases listed in the cause list in the serial order.

9. Issue of notice

(*i*) Where notice of an appeal or petition or application is issued by the Appellate Tribunal, copies of the same, the Affidavit in support thereof and the copy of other documents filed therewith, if any, shall be served along with the notice on the other side.

IndiaCode

(*ii*) The aforesaid copies shall show the date of presentation of the appeal or petition or application and the name of the advocate of such party, with his full address for service and the interim order, if any, made thereon.

(*iii*) The Appellate Tribunal may order for issuing notice in appropriate cases and also permit the party concerned for service of the said notice on the other side by private service and in such case, deliver the notice to such party and it is for such party to file affidavit of service with proof.

10. Summons

Whenever summons or notice is ordered by private service, the appellant or applicant or petitioner as the case may be, unless already served on the other side in advance, shall arrange to serve the copy of appeal or application or petition by registered post or courier service and file affidavit of service with its proof of acknowledgment before the date fixed for hearing.

11. Steps for issue of fresh notice

If any notice is returned unserved in the circumstances not specified in **Rule 3.3.3 (9)** that fact and the reason thereof shall be notified immediately on the notice board of the Registry. The appellant or applicant or petitioner shall within seven days from date of such notification takes steps to serve the notice afresh.

12. Consequence of failure to take steps for issue fresh notice

Where after a summon has been issued to the other side and returned unserved and the appellant or applicant or petitioner, as the case maybe, fails to take necessary steps within a period as ordered by the Appellate Tribunal from the date of return of the notice on the respondent/s, the Registrar shall post the case before the Appellate Tribunal for further directions or for dismissal for non-prosecution.

13. Default of appearance of respondent and consequences

Where the respondent, despite effective service of summons or notice on him does not appear before the date fixed for hearing, the Appellate Tribunal may proceed to hear the appeal or application or petition ex parte and pass final orders on merits.

14. Filing of objections by respondent

(*i*) The respondent, if so directed by the Appellate Tribunal, shall file objections or counter within the time allowed by the Appellate Tribunal. The objections shall be verified as an appeal or petition and wherever new facts are sought to be introduced for the first time, leave of the Appellate Tribunal shall be obtained.

(*ii*) The respondent, if permitted to file objections or counter in any proceeding shall also file three copies thereof after serving copies of the same on the appellant or applicant or the petitioner or their Advocate on record or the authorized representative, as the case may be.

15. Inspection of records

The parties to any proceedings before the Appellate Tribunal or their Advocate or the authorized representative may be allowed to inspect the records of such proceedings by making an application in that behalf to the Registrar and paying the prescribed fee for such inspection.

16. Grant of inspection

(*i*) An application for inspection of record under **Rule 3.3.3 (15)** shall be in the prescribed form and presented at the filing counter of the Registry between 10:30 a.m. and 3:00 p.m. on any working day and three days before the date on which the inspection is sought, unless otherwise permitted by the Registrar.

(*ii*) The Registry shall submit the application with its remarks before the Registrar, who shall on consideration of the same, pass appropriate orders.

17. Fee payable for inspection

Fee as may be specified by the Food Authority shall be payable on any application for inspection of records of a pending or decided case. Such fee shall be paid by way of Demand Draft to be drawn in favour of "Registrar, Food Safety Appellate Tribunal" and payable at the place where the Appellate Tribunal is located.

18. Mode of inspection

(*i*) On grant of permission for inspection of the records, the Registry shall arrange to procure the records of the case and allow inspection of such records on the date and time fixed by the Registrar in the immediate presence of an officer authorised in that behalf.

(*ii*) The person inspecting the records shall not in any manner cause dislocation, mutilation, tampering or damage to the records in the course of inspection.

(*iii*) The person inspecting the records shall not make any marking on any record or paper so inspected and taking notes, if any, of the documents or records inspected may be done only in pencil.

(*iv*) The officer of the Registry supervising the inspection may at any time prohibit further inspection, if in his opinion, any of the records are likely to be damaged in the process of inspection or the person inspecting the records has violated or attempted to violate the provisions of these rules and shall immediately make a report about the matter to the Registrar and seek further orders from the Registrar.

19. Maintenance of Register of Inspection

The Registry shall maintain a Register for the purpose of inspection of documents or records and shall obtain therein the signature of the person making such inspection on the Register as well as on the application on the conclusion of inspection.

20. Application for production of documents and form of summons

(*i*) Except as otherwise provided hereunder, discovery or production and return of documents shall be regulated by the provisions of Civil Procedure Code, 1908.

(*ii*) An application for summons to produce documents shall set out the document/s production of which is sought; the relevancy of the document/s and in case where the production of a certified copy would serve the purpose, whether application was made to the proper officer and the result thereof.

21. *Suo motu* summoning of documents

Notwithstanding anything contained in these rules, the Appellate Tribunal, may, suo motu, issue summons for production of public documents or other documents in the custody of a public officer.

3.3.3:Powers and functions of the Registrar and related matters

1. The Registrar shall discharge his functions under the general superintendence of the Presiding Officer. He shall discharge such other functions as are assigned to him under these rules by the Presiding Officer.

2. The Registrar shall have the custody of the records of the Appellate Tribunal.

3. The Registrar shall have the following powers and functions viz.

(*i*) registration of appeals, petitions and applications;

(*ii*) to receive applications for amendment of appeal or the petition or application or subsequent proceedings

(*iii*) subject to the directions of the Presiding Officer, to fix date of hearing of the appeal or other proceedings and issue notices thereon

(*iv*) to order grant of copies of documents to parties to proceedings.

(*v*) to dispose of all matters relating to the service of notices or other processes, application for the issue of fresh notice or for extending the time for or ordering a particular method of service on a respondent including a substituted service by publication of the notice by way of advertisement in the newspapers.

(*vi*) to requisition records from the custody of the Adjudicating officer or any other authority.

4. Preparation and publication of daily cause list:

(*i*) The Registry shall prepare and publish on the Notice Board of the Registry before the closing of working hours on each working day, the cause list for the next working day and subject to the directions of the Presiding Officer, listing of cases in the Daily Cause List shall be in the following order of priority: cases for "pronouncement of orders"

(*a*) cases for "clarification"

(*b*) cases for "admission"

(*c*) cases for "orders or directions"

(*d*) part-heard cases, latest part-heard having precedence

(*e*) cases posted as per numerical order or as directed by the Presiding Officer

(*ii*) The title of the daily cause list shall contain the number of the appeal or petition or application number, the day, date and time of the sitting of the Appellate Tribunal and the Coram indicating the name of the Presiding Officer.

(*iii*) Against the number of each case listed in the daily cause list, the following shall be shown namely

(*iv*) the name/s of the advocate/s appearing for both sides and setting in brackets the details of the parties whom they represent

(*v*) the names of the parties, if unrepresented, with their details in brackets

(*vi*) The objections and special directions, if any, of the Registry shall be briefly indicated in the daily cause list in remarks column, whenever compliance is required.

3.3.4: Orders of Appellate Tribunal and related matters

1. Order

(*i*) Every order of the Appellate Tribunal shall be signed and dated by the Presiding Officer. The Presiding Officer shall have powers to pass interim orders or injunction, subject to reasons to be recorded in writing, which he considers necessary in the interest of justice.

(*ii*) Orders shall be pronounced in the sitting of the Appellate Tribunal by the Presiding Officer

(*iii*) Reading of the operative portion of the order shall be deemed to be pronouncement of order.

(*iv*) When orders are reserved, the date for pronouncement of order shall be notified in the cause list which shall be a valid notice of intimation of pronouncement.

2. Communication of orders

A certified copy of every order passed by the Appellate Tribunal shall be communicated to the Adjudicating Officer and to the parties, as the case may be.

3. Publication of orders

The orders of the Appellate Tribunal, as are deemed fit for publication in the press may be released for such publication on such terms and conditions as the Presiding Officer may specify.

4. Making of entries

Immediately on pronouncement of an order by the Presiding Officer, the Registrar shall make necessary endorsement on the case file regarding the date of such pronouncement and the nature of disposal and shall also make necessary entries in the diary maintained by him.

5. Indexing of case files after disposal

After communication of the order to the parties or their counsel, the Registry shall arrange the records with pagination and prepare in the Index Sheet in such form as may be prescribed by the Appellate Tribunal. He shall affix initials and then transmit the records with the Index to the records room.

6. Copies of orders in library

(*i*) The Officer in charge of the Registry shall send copies of every final order to the library.

(*ii*) Copies of all final orders received in each month shall be kept at the library in a separate folder, arranged in the order of date of pronouncement, duly indexed and stitched.

7. Removal of difficulties and issue of directions

Notwithstanding anything contained in these rules, wherever the rules are silent or no provision is made, the Presiding Officer may issue appropriate directions to remove difficulties and issue such order or circulars to govern the situation or contingency that may arise in the working of the Appellate Tribunal.

FORM I

FORM OF AFFIDAVIT

Seizure of books of account and other documents

(*Refer Rule 2.2.2*)

I, son of/wife of/daughter of Mr. _____, aged about _____ years and residing at _____ do hereby solemnly affirm and sincerely state as follows:

1. I am the sole proprietor/Partner/Director/employee of _____Private Ltd/Limited (here give the name of the firm or Company) having its Office/carrying on business//Registered Office at _____.

2. I say that on _____ at about ___a.m./p/m., the Food Safety Officer,_____(here give the area of operation of the Food Safety Officer) inspected/searched the premises at _____ where I am/ _____Private Ltd./Limited is carrying on business. During the course of such inspection/search, the Food Safety Officer has seized certain books of account and documents relating to the business.

3. I say that the books of accounts and other documents seized during the inspection/search are required for carrying on business and hence it is necessary that they be returned to me immediately.

4. At my request, the Food Safety Officer has agreed to return the books of account and other documents so seized during the inspection/search, subject to my providing him extracts or copies of such books of account and other documents. The Food Safety Officer has given me the details of the extracts or the copies required by him.

5. I say that I have caused the extracts/copies so required to be taken in the presence of the Food Safety Officer/_____ (name) an officer working in the department of the Food Safety Officer.

6. I confirm and declare that the extracts/copies annexed to this Affidavit are the true, authentic and genuine extracts/copies of books of account/other documents seized on _____ and in confirmation thereof, I have initialed each page of such extracts/copies.

7. I am aware that based on the solemn declarations given in this Affidavit, the Food Safety Officer has agreed to return the books of accounts and other documents seized as aforesaid on _____.

8. I hereby undertake to produce the books and accounts and other documents or any part thereof at any time as may be required by the Designated Officer or by the Food Safety Officer or before any inquiry proceedings or before any adjudication proceedings that may be initiated by the Food Safety Officer against me or against _____Private Ltd./Limited or both..

(SIGNATURE OF THE DEPONENT)

Solemnly affirmed and
signed before me this _____ of _____
Notary Public._____

IndiaCode

FORM II

SEIZURE MEMO

[Refer Rule 2.3.1]

In exercise of the power delegated to me under section38 of the FSS Act, I hereby seize/detain the under mentioned food products/documents which contravene the provision of section———————————————— — of this Act at the premises of M/S——

Sl.No.	Name of the products	Batch No.	No of units	Qty in kgs .
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

The detention/seizure has been made and the inventory has been prepared in presence of the following witnesses.

Name and address of the witness *signature.*

1.

2.

The products detained/seized have been duly sealed and are left in the custody of Shri.——with the instruction not to tamper with the seals and not to dispose of the products till further order.

Signature of Manufacturer/dealer

Signature of Food Safety Officer

Name

Place

Date:

IndiaCode

FORM III

FORM OF ORDER OF SEIZURE

[Refer Rule 2.3.2.(1)]

To

(Name and address of the Food Business Operator)
……
……
……

Whereas below mentioned articles of food….intended for sale which is in your possession appears to me to be adulterated/ misbranded under in violation of section————————————————of FSS Act:

Sl.No.	Name of the products	Batch No.	No of units	Qty in kgs .
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Now therefore under clause (*c*) of sub-section (1) of section 38 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), I hereby direct you to keep in your safe custody the said sealed stock subject to such orders as may be issued subsequently in relation thereto.

IndiaCode

Food Safety Officer
Area…….....……

Place:
Date:

FORM IV

[Refer Rule 2.3.2.(2)]

FORM OF SURETY BOND

Know all men by these present that we (*i*) ……..son of ……resident of ……..and (*ii*) …… son of ……..resident of …….proprietors/partners/employees of Messrs …….hereinafter called the Food Business Operator (s) and (*iii*)……..son of ……..resident of …….and (*iv*) ……son of …….resident of…….hereinafter called the surety/sureties are held and firmly borne up to the President of India/Governor of……hereinafter called the government in the sum of ……..rupees to be paid to the government, for which payment will and truly be made.

We firmly bind ourselves jointly and severally by these presents.

Signed this ……day of …….whereas Shri……Food Safety Officer has seized…….(here, insert the description of materials together with number/quantity and total price hereinafter referred to as the said article) from ……..(specify the place);

Whereas on the request of the Food Business Operator(s) the government has agreed to keep the said article in the safe custody of the Food Business Operator(s) executing a bond in the terms hereinafter contained and supported by surety/ two sureties which the Food Business Operator(s) has/have agreed to do. Now the condition of the above written obligation is such that if in the event of the Food Business Operator(s) failure to produce intact the said article before such court or Authority and on such dates(s) as may be specified by the said Food Safety Officer from time to time the Food Business Operator(s) and /or the surety/sureties forthwith pay to the government on demand and without a demur sum of ……rupees and there after the said bond will be void and of no effect. Otherwise the same shall be and remain in full force and virtue.

These presents further witness as follows:

(*i*) The liability of the surety/sureties hereunder shall not be impaired or discharged by reason of time being granted by or any forbearance, act or omission of the government whether with or without the knowledge or consent of the sureties or either of them in respect of or in relation to all or any of the obligations or conditions to be performed or discharged by the Food Business Operator(s). Nor shall it be necessary for the government to sue the Food Business Operator(s) before suing the sureties or either of them for the amount due, hereunder.

(*ii*) This Bond is given under the Food Safety and Standards Act,2006 for the performance of an Act in which the public are interested.

(*iii*) The government shall bear the stamp duty payable on these presents.

In witness whereof these presents have been signed by the Food Business Operator(s) and the surety/sureties the day hereinabove mentioned and by Shri……on behalf of the President of India on the date appearing below against his signature.

Witnesses:
1.…….. (Signature)
(Name and address)……..

2…….. (Signature)
(Name and address)……..

Signature…… (*Food Business Operator*)……

Signature…… (*Food Business Operator*)……

Signature…….. (Surety)……

Signature…….. (Surety)……
for and on behalf of the
President
of India / governor of state of.

Signature……...
(Designation)……

FORM VA

FORM OF NOTICE To THE Food Business Operator

(*Refer Rule 2.4.1.* (*3*))

To
……
……

Dear Sir/s/ Madam:

I have this day taken the samples of food from premises/shop/market of …….situated at ……..as specified below to have the same analysed by the Food Analyst for _____.

Details of food:
Code number:

Parameter to be tested:

1. As per the FSSAI Standards for the specific products
2. Any additional test to be performed if any

Place: (Sd/-) Food Safety

Date: Officer/Authorized Officer.

Address:

Acknowledgement:

Sign of Food Business Operator

Witnesses

Witnesses

IndiaCode

FORM V B

(form of notice to be given by purchaser)
(***Refer Rule 2.4.4*** (***2***))

To
……
……

Dear Sir/s/ Madam:

I have this day taken the samples of food from premises/shop/ market of …….situated at ……..as specified below to have the same analysed by the Food Analyst for _____.

Details of food:

Code number:

Parameter to be tested:

1. As per the FSSAI Standards for the specific products
2. Any additional test to be performed if any

Place:

Date:

Address:

IndiaCode

FORM VI

MEMORANDUM TO FOOD ANALYST

From:
……
……

Date: _____

To

Food Analyst
……
……

MEMORANDUM
(*Refer Rule 2.4.1*(*11*))

1. The sample described below is sent herewith for analysis under ___ of ___ of section ____ of Food Safety and Standards Act, 2006

 (*i*) Code Number

 (*ii*) Date and place of collection

 (*iii*) Name/Nature of articles submitted for analysis

 (*iv*) Name/Nature and quantity of preservative, if any, added to the sample.

2. A copy of this memo and specimen impression of the seal used to seal the packet of sample are being sent separately by post/courier/hand delivery (strike out whichever is not applicable)

(Sd/) Food Safety Officer
Address:

IndiaCode

FORM VII A

[Refer Rule 2.4.4(6)]

REPORT OF THE FOOD ANALYST

Report No._____.

Certified that I _____ (name of the Food Analyst) duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for _____ (name of the local area) have received from _____* a sample of ____, bearing Code number and Serial Number _____ of Designated Officer of _____ area* on_____(date of receipt of sample) for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows:

Intact/damaged/missing (delete where inapplicable)

I found the sample to be …….. (category of the sample) falling under item No.____ of Chapter 5 of Food Safety and Standards Regulations. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on _____ (give date of starting and completion of analysis) and the result of its analysis is given below/ was not in a condition fit for analysis for the reason given below:

Reasons:

……

Analysis Report

Refer Rule 2.4.2 (5)

(*i*) Sample Description (What it contains)
……..

(*ii*) Physical Appearance of sample/container
……..

(*iii*) Label declaration.
……..

Sl. No.	Quality characteristics	Nature of method of test used	Result	Prescribed standards as per (*a*) provisions of the FSS Act , Rules and Regulations
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Report (sample wise)

-adulterated/misbranded/within norms/ violates provision of …..……(delete where not applicable)

-any other observations

Signed this _____ day of _____ 20

Address: (Sd/-) Food Analyst.

* Give the details of the senders

** Strike out whichever is not applicable

*** When opinion and interpretation are included, document the basis upon which the opinions/interpretations have been made.

IndiaCode

FORM VIII

[Refer Rule 2.4.6 (1)]

FORM OF APPEAL BEFORE THE DESIGNATED OFFICER

APPEAL BEFORE THE DESIGNATED OFFICER

(PLACE)

In the matter of appeal under section 46 (4) of The Food Safety and Standards Act 2006 (34 of 2006)

AND

In the matter of appeal against the report dated ____ from the Food Analyst

1. No. and date of the report of the Food Analyst against which the appeal is being preferred
2. Brief details of the facts and the grounds on which the report is being challenged
3. Relief being claimed

Signature of Appellant

IndiaCode

FORM NO. IX
(Form of Nomination – Refer rule 2.5.1)

NOMINATION OF PERSONS BY A COMPANY

Being the proprietor or a signatory authorized by the board of directors of the company in terms of Rule 2.5.1 (2), I do hereby gives notice that the following persons(s) is/are nominated as the person(s) in charge of establishment, branch or the unit mentioned against the name of the person(s) and shall be responsible and liable for food safety or any contravention of the Act and rules/regulations or directions issued thereunder in respect of the concerned establishment/branch/unit. The person(s) shall take all such steps as may be necessary to prevent the commission by the Company of any offence under and comply with the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 and the Rules and Regulations made thereunder.

Branch wise/office wise nomination .

Establishment/branch/unit name	Name and Sign of Person i/c
1.	1.
2.	2.
3.	3.

A certified copy of the resolution of the board regarding the authorized signatory, dated _____ is enclosed.

Place:_____ For _____ Ltd./Private Ltd.

Date:_____

1. Authorized signatory of the company

Place:

Date:

IndiaCode

FORM X
(Refer Rule (*i*) of 3.3.1 (2))

FORM OF APPEAL

BEFORE THE FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL
(PLACE OF THE TRIBUNAL)

In the matter of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006)

AND

In the matter of appeal against the order dated ___ passed by the Adjudicating Officer, (Place)

APPEAL NO. ____ OF ____

A.B. .. Appellant

Vs

C.D ... Respondent

For use in Appellate Tribunal's office

Date of presentation in the registry

Date of receipt by post

Registration No.

Signature
(Registrar)

INDEX

(Specimen Index)

Sl No.	EXHIBIT No.	PARTICULARS	Page
1.		Memorandum of Appeal	
2.	A	Copy of the Show Cause Notice dated ____ issued by the Adjudicating Officer	
3.	B	Copy of the Reply dated __ sent by the Appellant to the Show Cause Notice.	
4.	C	Copy of the letter dated ___ sent by the Appellant to the Adjudicating Officer	
5.	D	Copy of the impugned order dated _____	

MEMORANDUM OF APPEAL

1. Particulars of the Appellant

(*i*) Name of the Appellant: AB

(*ii*) Address of the Appellant:

(*iii*) Address for service of all notices

IndiaCode

(*iv*) Telephone/Fax No.

E-mail address, if any

2. Particulars of the Respondent

(*i*) Name of the Respondent : C.D.

(*ii*) Address of the Respondent:

(*iii*) Address for service of all notices

(*iv*) Telephone/Fax No.

e-mail address, if any

3. Jurisdiction of the Appellate Tribunal

The Appellant declares that the matter of appeal falls within the jurisdiction of the Appellate Tribunal.

4. Limitation

The Appellant further declares that the appeal is within the limitation as prescribed in Rule 3.3.1 (2)

5. Facts of the case

Here give a concise statement of facts of the case and grounds of appeal against the specified order, in a chronological order, each paragraph containing as neatly as possible as separate issue, fact or otherwise)

6. Relief(s) sought

In view of the facts mentioned in paragraph 5 and the grounds on which the impugned order is challenged, the Appellant prays for the following relief(s)

(Here specify the relief(s) sought and the legal provision, if any, relied upon)

7. Interim relief(s) sought (if prayed for)

Pending the final decision in the appeal, the Appellant seeks the following interim relief (s).

(Here specify the interim relief(s) prayed for and the reasons therefore)

8. Matters not pending with any other court

The Appellant further declares that the matter regarding which this appeal has been filed, is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal.

9. Particulars of fee paid

(*i*) Amount of fee Rs._____

(*ii*) Name of the bank on which the Demand Draft is drawn _____ Bank

(*iii*) Demand draft No. and date

10. Details of Index

An index containing the details of the documents relied upon is enclosed.

11. List of enclosures

(Signature of the Appellant)

IndiaCode

VERIFICATION

I, _____ son /wife/daughter of Mr._____being the Appellant do hereby verify that the contents of paragraphs 1 to 11 are true to my personal knowledge and belief and that I have not suppressed any material fact.

(Signature of the Appellant)

Place:

Date:

[F.No. P15017/20/2009-FSSAI(Pt)

(L.C. Goyal)
Additional Secretary and
D.G. (C.G.H.S.)

To

The manager,
Govt of India Press,
Maya puri,
Delhi.

IndiaCode